सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक)	50 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

सच्चा राही
A/c. No. 10863759642 (Current A/c.)
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.
कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नं0 0522–2740406 अथवा ई मेलः sachcharahi2002@gmail.com पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

फरवरी, 2020 वर्ष 18 अंक 12

सालें कबीसा

साले कबीसा आया है
दिन फरवरी बढ़ाया है
चार से जो सन् हो तक़सीम
पूरा पूरा हो तक़सीम
वही तो साले कबीसा है
वही तो साले कबीसा है
तीन साल तक फरवरी
28 दिन की रहती है
साले कबीसा आता है
उन्तीस की हो जाती है
सारे दिन अल्लाह के हैं
माह भी सब अल्लाह के हैं
शुक्र करें अल्लाह का
हम सब भी अल्लाह के हैं

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Editing by: Qamaruzzama-9452295052

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल ह़यी हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	07
इन्सान का सब से बड़ा दुशमन	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	08
इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद	हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0	11
खिलाफते राशिदा	मौलाना गुलाम रसूल मेहर	13
इस्लाम में मुआ़लिजीन की	मौलाना ख़ालिद सैफुल्लाह रहमानी	17
नबी–ए–रहमत सल्ल0	हज़रत मौ0 सै0 राबे हसनी नदवी	21
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फ़र आलम नदवी	25
शहरीयत तरमीमी क़ानून	मौलाना शम्सुल हक़ नदवी	28
औरंगज़ेब को अंग्रेज़ों ने	मौलाना सय्यिद इनायतुल्लाह नदवी	31
कुर्आन की सत्यता के प्रमाण	अबरार अहमद लाखेरी	38
अपील बराए तामीर	इदारा	41
उर्दू सीखिए	इदारा	42

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-अनआमः

अनुवाद–

यह इसलिए कि आपका पालनहार अत्याचार से बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं जबकि वहां के लोग बेखबर हों [1](131) और हर एक के लिए उनके कर्मों के अनुसार दर्जे है। और जो भी वे करते हैं आप का पालनहार उससे बेख़बर नहीं है(132) और आपका पालनहार बेनियाज़ है रहमत वाला है अगर चाहे तो तुम सब को चलता कर दे और तुम्हारे बाद जिसको चाहे (तुम्हारी) जगह पर ले आए जैसे उसने दूसरी क़ौमों के वंश में से तुम्हें खड़ा कर दिया था (133) बेशक जिसका तुमसे वादा है वह आने ही वाला है और तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते(134) कह दीजिए ऐ मेरी क़ौम! तुम अपनी जगह काम करो मैं भी कर रहा हूँ आगे तुम्हें पता चल जाएगा कि परिणाम किसके हित में है, अत्याचारी लोग तो सफ़ल हो ही नहीं सकते(135) और अल्लाह ने जो भी खेती और पशु पैदा किए उसमें से लोगों ने अल्लाह का एक हिस्सा रखा फिर वे अपने ख़्याल के अनुसार कहने लगे कि ''यह अल्लाह का है और यह हमारे (ठहराए हुए) साझीदारों का है तो जो उनके साझीदारों का होता है वह अल्लाह तक नहीं पहुंचता और जो अल्लाह का होता वह साझीदारों तक पहुंच जाता, कैसे बुरे फैसले वे करते रहते हैं[2](136) इसी तरह बहुत से मुश्रिकों के लिए उनके ठहराए हुए साझीदारों ने उनकी संतान के कत्ल को सुहावना बना दिया है ताकि वे उन्हें बर्बाद कर दें और उनके दीन को उनके लिए संदिग्ध (मश्कूक) बना दें और अगर अल्लाह की चाहत होती तो वे ऐसा न करते बस आप उनको छोड़ दीजिए वे जानें और उनका झूठ[3](137) वे यह कहते हैं कि यह पशु और खेती मना है उनका ख़्याल यह है कि कोई इसको खा नहीं सकता सिवाय उसके जिस को हम चाहें, और कुछ चौपाए हैं जिन पर सवारी हराम (वर्जित) हैं और कुछ चौपायों पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, उस पर झूठ बाँध कर, जल्द ही अल्लाह उनके झूठ गढ़ने की सज़ा उनको देगा(138) और वह कहते हैं कि इन चौपायों के पेट में जो है वह

केवल हमारे पुरुषों के लिए है और हमारी औरतों के लिए हराम है और अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो वे सब उसमें शरीक हो जाते हैं, जल्द ही अल्लाह उनके इस बयान की सज़ा उनको देगा, बेशक वह हिकमत वाला है खूब जानता है[4](139) जिन लोगों ने बिना जाने बूझे मूर्खता में अपनी संतान को क़त्ल कर दिया उन्होंने बड़ा ही घाटा उठाया और जो अल्लाह ने उनको प्रदान किया वह उन्होंने हराम कर लिया अल्लाह पर झूठ गढ़ते हुए, वे अवश्य भटक गए और वे रास्ते पर नहीं हैं[5](140) वही ज़ात है जिसने (टट्टियों पर) चढ़ाए हुए और बिना चढ़ाए हुए बाग़ पैदा किये और[6] खजूर के पेड़ और खेती और उसके फल कई प्रकार के हैं। और ज़ैतून और अनार एक जैसे भी और अलग अलग भी जब वह फल दें तो उसके फल खाओ और उसकी कटाई के समय तुम उसका हक़ दो, और बेजा मत उड़ाओ, फजूल ख़र्ची करने वाले उसको पसंद ही नहीं[7](141) और चौपायों में से बोझ लादने वाले भी और छोटी काया के भी, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया उसमें से खाओ और शैतान के पदचिन्हों पर मत चलो बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है[8](141)।

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. ऊपर आयत में आ चुका कि अल्लाह क़यामत में स्वीकार करवाएगा कि हम में पैग़म्बर आए थे वह बिना सावधान किए हुए किसी को अज़ाब नहीं देता।

2. काफ़िर अपने जानवरों और खेती में अल्लाह का भी हिस्सा लगाते और मूर्तियों का भी फिर अगर अल्लाह का हिस्सा बेहतर देखते हैं तो वह मूर्तियों की ओर कर देते और मूर्तियों की ओर का अल्लाह की ओर न करते उनके इसी बुरे काम का उल्लेख है।

3. साझीदारों का मतलब शैतान है जो उनको बहकाते और विभिन्न बहानों से वे अपनी संतान को क़त्ल करते थे लड़कियों को क़त्ल करना अधिक था लड़कों को भी अल्लाह से निकटता प्राप्त करने के लिए क़त्ल करते थे और इस को इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम का तरीक़ा बताते, बताया जा रहा है कि यह दीन दुन्या की बर्बादी है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धर्म के बिल्कुल खिलाफ़ है।

4. विभिन्न प्रकार के अपनी ओर से नियम बना लिए थे किसी पर सवारी हराम समझते किसी पर अल्लाह का नाम लेना गलत कहते, कुछ विशेष जानवरों के गर्भ के बारे में धारणा थी कि अगर बच्चा जीवित पैदा हुआ तो मर्द खा सकते हैं औरतें नहीं खा सकतीं और अगर

शेष पृष्ठ .....16...पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

अपने को गैर की तरफ़ मंसूब करने की मुमानियतः–

हज़रत सअ़द बिन अबी वक़ास रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो अपने बाप को छोड़ कर किसी और से मन्सूब करे हालांकि जानता है कि यह मेरा बाप नहीं तो उस पर जन्नत हराम है।

(बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया तुम अपने बाप दादा से मुंह न मोड़ो।

जिसने अपने बाप दादा से मुंह मोड़ लिया वह काफ़िर हुआ।

हज़रत ज़ैद बिन शरीक बिन तारिक़ से रिवायत है कि मैं ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ि0 को मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हुए देखा और कुछ फरमा रहे थे वह सुना। वह फरमा रहे थे कि वल्लाह हमारे पास सिवाये कलामुल्लाह के और कोई किताब नहीं, या यह सहीफ़ा है जिस में दीय्यत के ऊँटों की उम्र और कुछ ज़ख़्मों की दीय्यत के मसाएल हैं, फिर उस सफ़्ह को खोल कर फैला दिया। जिस में यह लिखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मदीना हरम है अ़ैर और सूर के दरमियान जितनी ज़मीन है वह हरम है जो शख़्स मदीना में बिदअ़त निकालेगा या बिदअतियों को जगह देगा तो उस पर अल्लाह तआला की फ़रिश्तों की और सब लोगों की लानत है। क़यामत के दिन न उस की तौबा क़बूल करेगा और न फिद्या और मुसलमानों का अहद एक है आला व अदना सब उस का जिम्मा ले सकते हैं।

पस जो शख़्स मुसलमान के अहद को तोड़े तो उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। क़यामत के दिन न उसकी तौबा कबूल होगी न फिद्या। और जो अपने बाप को छोड़ कर दूसरे की तरफ़ –अमतुल्लाह तस्नीम

अपने को मन्सूब करे, या अपने आक़ा को छोड़ कर दूसरे को आक़ा बनाये तो उस पर भी अल्लाह तआला की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। क़यामत के दिन न उसकी तौबा क़बूल होगी न फ़िद्या।

(बुख़ारी–मुस्लिम)

हज़रत अबू ज़र रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जो शख़्स किसी को अपना बाप कहे और खूब समझता है कि यह मेरा बाप नहीं है तो उसने कुफ़्र किया और जो शख़्स एक चीज़ की मिलकियत का दावा करे हालांकि वह चीज़ उस की नहीं तो वह हम में से नहीं है और वह शख़्स अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना ले और जो शख़्स किसी को कुफ़्र के साथ पुकारे या कहे, या अल्लाह का दुश्मन कहे। और वह ऐसा न हो तो वह पलट आयेगा।

शेष पृष्ठ .....40...पर

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इन्सान का सब से बड़ा दुशमन शैतान

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

आसमानों के ऊपर वह आसमान जहाँ जन्नत है फ़िरिश्ते हैं वहीं एक जिन्न इब्लीस भी रहता था, अल्लाह तआला ने जब दादा आदम अलै0 का पुत्ला बनाया और उस में जान डाली तो उनके सम्मान के लिए आदेश दिया कि सब लोग उन को सज्दा करें आदेशानुसार सब फिरिश्तों ने सज्दा किया मगर इब्लीस ने सज्दा न किया अल्लाह तआला ने इब्लीस से पूछा कि तू ने सज्दा क्यों नहीं किया, उसने जवाब दिया आप ने आदम को मिट्टी से बनाया है मुझ को आग से मैं आदम से अफ़्ज़ल (श्रेष्ठ) हूं मैं उन को सज्दा क्यों करूं अल्लाह तआला ने इब्लीस को आदेश का उल्लंघन करने पर उस मजलिस (बैठक) से निकल जाने का आदेश दिया। इब्लीस ने कहा मेरे रब आदम के सबब मुझे फिरिश्तों की मजलिस से निकाल दिया गया, उस ने अल्लाह तआला से अनुरोध किया कि मुझे क़ियामत तक के लिए छूट दीजिए मैं आदम और उनकी सनतान से बदला लूँगा अल्लाह तआ़ला ने अपनी मसलहत को सामने रखते हुए इब्लीस को क़ियामत तक के लिए छूट दे दी और फरमायाः ''तो ठीक बात यह है और मैं ठीक ही कहता हूँ और मैं तुझ से और जो कोई उनमें (यानी आदम की औलाद में) से तेरी पैरवी करे उन से नरक को भर दूँगा''।

(सूरः स्वादः 84—85)

और फरमाया ''तेरा बस जो लोग ईमान रखते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं उन पर नहीं चलेगा, तेरा बस तो उन पर चलेगा जो तुझ को दोस्त बनाता है और उन पर चलेगा जो तेरा साझी ठहराते हैं यानी मुश्रिक हैं। (अन्नहल्ः 99—100)

जब इब्लीस को फ़िरिश्तों की मजलिस से निकाल दिया गया तो वह वहीं आस्मान पर रहता था और दादा आदम की ताक में रहता था कि अवसर मिलते ही उन को बहकाऊँ।

अल्लाह तआ़ला ने दादा आदम की दिल जोई और दिल बहलाने के लिए उनकी पसली से दादी हव्वा को निकाल दिया और उनको दादा की पत्नी

बना दिया और आदेश दिया कि वह दोनों जन्नत में रहें और जन्नत की नेमतें खाएं पिएं और एक पेड़ की ओर इशारा कर के फरमाया कि उस के क़रीब न जाएं और बता दिया कि इब्लीस से होशियार रहें वह उन दोनों का दुश्मन है।

इन्सान की फ़ितरत (प्राकृतिक स्वभाव) भूल जाना है दादा आदम और दादी हव्वा कुछ समय बाद भूल गये कि इब्लीस उन का दुश्मन है। इब्लीस दादा आदम और दादी हव्वा से जब तब मिलता था एक दिन उसने कहा कि ऐ आदम मैं तुम्हारे जन्म से बहुत पहले से यहाँ हूँ और यहां की एक एक चीज़ की जानकारी रखता हूं, अल्लाह तआ़ला ने जो उस पेड़ के क़रीब ना जाने का आदेश दिया है उस ने क़सम खा कर कहा मैं तुम दोनों का शुभ चिन्तक हूँ वास्तव में उस पेड़ का फल खा लेने वाला सदैव जन्नत में रहेगा जन्नत में सदैव रहने के लालच में दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया। वास्तव में इसमें अल्लाह की मस्लहत थी।

निषिद्ध वृक्ष का फल खाते ही दोनों नंगे हो गये जन्नती वस्त्र खुल गया दोनों बहुत लज्जित हुए और जन्नत के पेड़ के पत्तों से अपने जिस्म छुपाने लगे, अल्लाह तआ़ला ने दादा आदम से कहा मैंने उस पेड़ का फल खाने से रोका था और बताया था कि इब्लीस शैतान तुम्हारा दुश्मन है फिर तुमने उस पेड़ का फल क्यों खाया? दादा आदम ने कहा मुझ से बहुत बड़ी भूल हो गई अगर आप मुझे मुआफ ना करेंगे तो मैं बड़े घाटे में पड़ जाऊँगा। अल्लाह तआ़ला ने आदेश दिया कि तुम दोनों और इब्लीस सब आसमान से ज़मीन पर उतर जाओ। सब उतर कर ज़मीन पर आ गये। दादा आदम रोते और अल्लाह तआ़ला से मुआ़फ़ी मांगते रहे आख़िर कार मुआ़फी मिल गयी। अब दादा आदम और दादी हव्वा एक साथ रहने लगे और दादा के यहां बच्चे पैदा होने लगे, दादा आदम को ज़मीन की ख़िलाफ़त दी गई वह अपनी ख़िलाफ़त चलाने लगे और इब्लीस शैतान जिसको क़ियामत तक की छूट मिली थी वह अपने मिशन यानी दादा की औलाद को बहकाने में लग गया इब्लीस को डण्डा लाठी, तलवार बन्दूक से मारा तो जा ही नहीं सकता, उसको हराया भी नहीं जा सकता उससे बचने के लिए पवित्र कुर्आन में बताया गया है कि "अगर शैतान तुझे बहकाने की कोशिश करे तो तू अल्लाह की पनाह

मांग यानी ''अऊजु बिल्लाही मिनश्शैतानिर्रजीम'' पढ़, अल्लाह बड़ा सुन्ने वाला और बड़ा जानने वाला है''।

(अल– आराफ़ः 200)

लेकिन इब्लीस शैतान ने तो आदम की औलाद को बहकाने की क़सम खा रखी है वह पीछे नहीं हटेगा, बहकाने की कोशिश बराबर करता रहेगा उसने तो दादा आदम अलै0 की औलाद में क़ाबील को ऐसा बहकाया कि उसने अपने भाई हाबील को क़त्ल कर दिया, उसने हज़रत नूह अलै0 के बेटे को ऐसा बहकाया कि वह नाफ़रमानों के साथ डुबो दिया गया। मगर हज़रत नूह अलै0 की बात ना मानी और उन पर ईमान ना लाया, इब्लीस ने तो हज़रत नूह अलै0 और हज़रत लूत अलै0 की बीवियों को ऐसा बहकाया कि वह अपने शौहरों पर ईमान ना लाईं और अज़ाब में हलाक़ हो गईं।

इब्लीस ने तो हज़रत युसूफ अलै0 के भाइयों को ऐसा बहकाया कि उन्होंने अपने भाई यूसुफ को जंगल के सूखे कुएं में डाल दिया मगर याद रहे कि यूसुफ अलै0 ने अपने भाइयों को मुआ़फ़ कर दिया था। जब शैतान अंबिया अलै0 के घर वालों को बहका सका तो हम किस खेत की मूली हैं, लेकिन अल्लाह तआ़ला जिस को अपनी हिफ़ाज़त में ले ले उस पर शैतान की कोशिश नाकाम रहेगी। इन्सान शैतान के बहकाने से चाहे जितने गुनाह कर डाले अगर उसको सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ मिल गई तो उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे, सच्ची तौबा की तीन शर्तें हैं, इन्सान अपने गुनाह पर लज्जित हो, गुनाह को तुरन्त छोड़ दे, आइन्दा से गुनाह न करने का प्रण करे लेकिन याद रहे कि हक़्कुल इबाद (बन्दों के हुक़ूक़) सिर्फ तौबा से मुआ़फ न होंगे सिवाय इसके कि उनके हक़ उनको वापस किये जाएं, या उनसे क्षमा मांग ली जाए। अगर ऐसी सच्ची तौबा की है तो यही नहीं कि उसके गुनाह मुआ़फ हों बल्कि उसके गुनाह नेकियों से बदल दिये जायेंगे जैसा कि पवित्र कुर्आन में बताया गया है कि अनुवादः ''मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छे काम करे तो ऐसों की बुराईयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और अल्लाह बख़्शने वाला और मेहरबान है, और जो तौबा करे और अच्छे काम करे तो वह अल्लाह की तरफ़ रुजू पाया जैसी चाहिए थी''।

(अल फ़ुरक़ानः 70–71)

लेकिन तौबा वक़्त पर होना चाहिए मरते समय की तौबा क़ुबूल नहीं होती, मरने

शेष पृष्ठ .....20...पर

–पिछले अंक से आगे

इस्लाम के तीन बुन्यादी अक़ायद

–हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी (रह0) – अनुवादकः मुहम्मद हसन अंसारी

नबूवत (दूतकर्म)का असल कारनामा

हमारी आधुनिक सभ्यता और मौजूदा वैचारिक नेतृत्व मानवः–

मुस्लिम समप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषताः–

मैं इतिहास के एक विद्यार्थी बल्कि एक लेखक, और विश्व–इतिहास के एक जानकार की हैसियत से और फिर इसके साथ दुन्या के अनेक देशों और दुन्या के एक बड़े हिस्से का भ्रमण करने वाले एक दायी की हैसियत से भी आपके सामने कुछ विशेष बातें रखना चाहता हूँ, ऐसी बातें जो इस विषय पर निर्णायक सिद्ध होंगी, अल्लाह तआ़ला कहता है–

अनुवादः– *"आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन (धर्म) मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेअ़मत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए धर्म के रूप में इस्लाम को पसंद किया।*

(सूरः अल्–माइदा 3)

दूसरी आयत में कहा–

अनुवादः– *"मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम पुरुषों में से किसी के बाप नहीं बल्कि वह अल्लाह के रसूल और अंतिम नबी (ईश दूत हैं)*

इन आयतों से उम्मत को नहीं बल्कि संसार को जो दौलत मिली है जो विशेषता मिली है, उस पर भी बहुत कम लोगों ने गौर किया। एक बात तो यह है कि इन आयतों से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूवत के समापन का ऐलान किया कि आप खातिमुन्नबीईन हैं, नबूवत का सिलसिला आप की ज़ात पर समाप्त होता है, अब कोई नबी नहीं आयेगा। अब कोई दर्जा और अधिक तालीम व इस्लाह का बाक़ी ही नहीं रहा कि किसी नये बनी की ज़रूरत बाक़ी रहती। नबूवत के दावा की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। अल्लाह ने इस दीन (अर्थात इस्लाम) को परिपूर्ण कर दिया और अपनी नेअमत पूरी कर दी। इसके बाद यह बात सुस्पष्ट हो जाती है कि अब दीन में किसी संशोधन, घटाने बढ़ाने की गुंजाइश बाक़ी नहीं रही और न ही किसी नबी के अभ्योदय की आवश्यकता है।

यह इस उम्मत पर अल्लाह का एक महान उपकार व इनआम है और इसकी विशेषता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निधन से पहले ही, यह खुला ऐलान कर देना था कि नबूवत का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर समापन हो गया। और दीन और ख़ुदा के महान वरदान को परिपूर्ण कर दिया गया। अब न मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद कोई नबी आयेगा, और न ही मुस्लिम

संप्रदाय के बाद कोई मिल्लत होगी।

इस ऐलान से हमें बड़ा सबक़ और सन्देश मिलता है। पहली बात तो यह इससे सुस्पष्ट होती है कि क़यामत तक के लिए अब इस उम्मत के अक़ीदे भी एक होंगे, अरकान भी एक होंगे, दूसरी बात यह कि हर काल में और हर दौर में और हर उस जगह जहाँ मुसलमान आबाद हैं, वहां एक वहदत (एकता) पायी जायेगी, अर्थात दीनी वहदत।

अक़ीदों की वहदत (एकता) :–

''अक़ीदों की वहदत'' यह है कि इस ''उम्मत'' के (जो अपने को मुसलमान कहती है, कुर्आन का कलिमा पढ़ती है, इस्लाम का दावा करती है) अक़ायद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अभ्योदय (बेअ़सत) से ले कर क़यामत तक एक रहेंगे, तौहीद पूरी रहेगी। पैगम्बरों की रिसालत और नबियों की नबूवत पर ईमान जिन्हें अल्लाह ने अपने–अपने समय और अपनी–अपनी जगह इस नाजुक और अजीम (महान) काम के लिए चुना, और फिर अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कि जिन के बाद अब कोई नबी नहीं आयेगा, पिछले पैगम्बरों की रिसालत पर भी ईमान, ख़त्म नबूवत पर ईमान, कि अब किसी को भी क़यामत तक नबूवत नहीं मिलनी है। यह कोई मामूली और हल्की बात नहीं है, दुन्या में किसी भी उम्मत को यह फजीलत नहीं मिली।

अरकान की वहदत (एकता):–

''अरकानी वहदत'' यह है कि दीन के अरकान (स्तम्भ) में तनिक भी अंतर नहीं आने दिया जायेगा, न किसी ज़माने में न किसी इलाक़े में, कि हालात को देख कर नमाज़ तीन वक़्त की कर दी जाय या कोई और परिवर्तन लाया जाये, या यह कि रोजा के दिन बदल दिये जायें। एक चुटकुला याद आया। बड़े पद पर प्रतिष्ठित एक माननीय व्यक्तित्व ने (मैं नाम नहीं लूँगा) हम से कहा कि मौलाना साहब! आप लोग इतने सख़्त मौसम में रोज़े रखते हैं, रमज़ान जाड़े में क्यों नहीं कर लेते। तो याद रखिये! अरकान जैसे थे वैसे ही रहेंगे, और उसी तरह अदा किये जायें, नमाज वही पाँच वक़्तों की, रोज़े वही रमजान के मुबारक महीने के, न जाड़े से उसमें फर्क़ आयेगा न गर्मी से, ज़कात (विशेष इस्लामी दान) उसी तरह अपने निज़ाम (पद्धति) व निसाब (धन की निर्धारित मात्रा) के मुताबिक जो बनाया गया है और जिसकी हमें तालीम दी गयी है, ''हज'' ठीक उसी तरह ''बैतुल्लाह शरीफ (कअ़बा) का अपने तमाम मानासिक (कर्म) हमेशा एक ही रहेंगे। क़यामत तक इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता और न होने दिया जायेगा। यह जो वहदत है इसे वहदते अरकानी कहते हैं।

जारी.....

❖❖❖

ख़िलाफ़ते राशिदा

—मौलाना गुलाम रसूल मेहर —प्रस्तुतिः गुफ़रान नदवी

ख़लीफ़-ए-रसूल हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि0

उसामा रज़ि0 का लश्कर :–

याद होगा कि जंग मूतः में इस्लामी लश्कर के पहले सालार (नायक) हज़रत जैद बिन हारिस रज़ि0 थे, जो शहीद हो गये थे, रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ि0 को शहीद करने वालों की गोशमाली (सज़ा) के लिए एक लश्कर तैयार किया और उसामा बिन ज़ैद रज़ि0 को उसका सिपहसालार बनाया जो बिल्कुल नौजवान थे, यह लश्कर मदीना मुनव्वरा के क़रीब ही था कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीमारी बढ़ गयी, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस दुन्या से तशरीफ़ ले गये। हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने फ़रमाया कि लश्कर को फ़ौरन मंज़िले मक़सूद (अभीष्ट स्थान) की ओर रवाना हो जाना चाहिए। सहाबा रज़ि0 ने इरतिदाद (धर्म परित्याग), ज़कात रोकने के फितनों (उपद्रव) का ख़्याल करते हुए मश्वरह दिया कि लश्कर को अभी रोक लिया जाये लेकिन इरादे के पक्के अबू बक्र रज़ि0 ने फरमाया अबू कुहाफ़ा (हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के वालिद) के बेटे का का यह मनसब नहीं कि रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फ़रमाये हुए फ़ैसले को बदल दे, ख़ुदा की क़सम यह लश्कर ज़रूर जायेगा। अगरचि मदीना लोगों से इस तरह खाली हो जाये कि दरिन्दे, (हिंसक पशु) मेरी टांगें खींचने लगें।

कुछ लोगों की राय थी कि किसी अनुभवी व्यक्ति को सालारे लश्कर बनाया जाये, संभव है कि यह विचार भी हो कि उसामा रज़ि0 एक आज़ाद शुदह गुलाम (ज़ैद रज़ि0) के बेटे हैं।

बड़े–बड़े ख़ानदान वाले लोगों को उनके अधीन कर देना उचित नहीं। हज़रत अबू बक्र रज़ि0 यह सुन कर ख़ुद लश्कर को रुख़सत करने के लिए निकले, उसामा रज़ि0 सवार थे, ख़लीफ़–ए–रसूल पैदल चले, हज़रत उसामा रज़ि0 ने अर्ज़ किया कि या तो आप भी सवार हो जायें या मैं भी उतर जाता हूँ, फ़रमाया ''अगर मैं थोड़ी देर के लिए राहे ख़ुदा में अपने पाँव को गर्द आलूदा (धूल में अटा

हुआ) कर लूँ, तो इसमें क्या नुक़सान है। ग़ाज़ी (धर्म योद्धा) के हर क़दम के बदले सात सौ नेकियाँ लिखी जाती हैं। इस प्रकार सब पर साबित (सिद्ध) कर दिया।

जब ख़लीफ़–ए–रसूल के नज़दीक हज़रत उसामा का यह मरतबा है कि वह पैदल साथ चलते हैं तो दूसरों को उनके अधीन हो कर काम करना क्यों नागवार मालूम हो, उसामा रज़ि0 अपना काम पूरा कर के चालीस दिन में वापस आ गये।

फ़ितनों की बेख़कनी (उपद्रव का उनमूलन) :–

हज़रत अबू बक्र रज़ि0 फ़ितनों को जड़ से उखाड़ने पर तैयार हो गये, खालिद बिन वलीद रज़ि0 ने उन जंगों में बहादुरी के बड़े बड़े कारनामे दिखाये, मुसैलिमा कज़्ज़ाब मारा गया, तलीहा और सजाह मैदाने जंग छोड़ कर भाग गये। थोड़े दिनों में अम्नो अमान हो गया, ज़कात के इनकार करने वालों से जंग में कुछ सहाबा को संकोच था, वह कहते थे कि जो लोग तौहीद व रिसालत को मानते हैं उनसे जंग करने की कौन सी वजह हो सकती है, हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि0 ने फ़रमाया ''जो कुछ रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दिया जाता था उसमें से अगर कोई शख़्स ऊँट के गले में बाँधने की एक रस्सी भी रोकेगा तो ख़ुदा की क़सम, उसके ख़िलाफ़ ज़रूर जिहाद करूंगा''।

यह हज़रत अबू बक्र का संकल्प था जिसने उम्मत को इन्तिशार (बिखरने) से बचाया, यही संकल्प था जिसने फ़ितन–ए–इरतिदाद (दीन से पलटने का फितना) और ज़कात को रोकने के फ़ितने को जड़ से उखाड़ा, सारे मुल्क में अम्न क़ायम कर दिया और निज़ामे इस्लाम (इस्लाम की व्यवस्था) में चटान की सी मज़बूती पैदा हो गई, इस काम में 6 महीने लग गये।

कुर्आन का संग्रह :–

कुर्आन शरीफ़ की आयतें ख़ुद रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इल्हाम (ईश्वरीय संकेत) से संकलित करा चुके थे, बहुत से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसी तरतीब से कुर्आन को हिफ़्ज़ कर लिया था और उसी तरतीब के अनुकूल कुर्आन लिखा हुआ मौजूद था लेकिन एक जगह जमा (एकत्र) नहीं था। मुसैलिमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग में बहुत से हाफ़िज़े कुर्आन शहीद हो गये तो अन्देशा हुआ कि कुर्आन कहीं बंट न जाये उसको एक जगह करने के लिए हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने ज़ैद बिन साबित रज़ि0 को जो कातिबे वही रह चुके थे काम पर लगाया, इस तरह जो नुसख़ा (प्रति) संकलित

हुआ, वह हज़रत अबू बक्र रज़ि0 के पास रहा फिर हज़रत उस्मान रज़ि0 को मिला, उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़सा रज़ि0 को दे दिया, हज़रत उस्मान रज़ि0 ने अपनी ख़िलाफ़त में उसी नुसख़े की नक़लें करा के जगह–जगह भेजी थीं।

रूम व ईरान से कश्मकश (खींचा तानी) :-

अरब की सरहदों के बारे में यह जान लो कि उस ज़माने की दो बड़ी हुकूमतों ने पड़ोसी अरब क़बीलों को अपने हलक़–ए–असर (प्रभाव क्षेत्र) में ले लिया था, ईरानी एक ज़माने में इराक़ से गुज़र कर यमन तक पहुंच गये थे, अरब इतनी क़ूवत के मालिक़ तो न थे कि उन हुकूमतों से टकराते लेकिन उनके दिलों में आज़ादी का जोश मौजें मारता रहा, जब इस्लाम ने अरबों को संयुक्त कर दिया और उनमें ज़िन्दगी की नई रूह फूंक दी तो दोनों साम्राज्यों के पड़ोसी अरब क़बीले आज़ादी के जोश में उभरने लगे, रुमियों और सासानियों ने फ़ौजी क़ूवत (सैन्य शक्ति) से उन्हें दबाना चाहा, उस पर लड़ाइयाँ छिड़ गयीं और इस्लामी हुकूमत को अपने मुसलमान भाइयों की जाएज़ मदद के लिए मैदान में उतरना पड़ा।

विजय की सरसरी कैफ़ियत (स्थिति) :-

हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने एक फ़ौज हज़रत खालिद रज़ि0 की सालारी (नेतृत्व) में ईराक़ की ओर भेजी, उसने हीरा का इलाक़ा दरिय–ए–फ़रात के पच्छिम में ईरानियों से छीन लिया। इसी बीच में तीन फ़ौजें शाम (सीरिया) की ओर भेजी जा चुकी थीं। उनकी संख्या शुरु में कुल 9 हज़ार थी, एक फ़ौज के सालार (नायक) यज़ीद बिन अवी सुफ़यान रज़ि0 थे, उसे पूर्वीय क्षेत्र में बढ़ने का आदेश मिला, दूसरी फ़ौज के सालार शरजील बिन हसन रज़ि0 थे, उसे तबूक व मआन के रास्ते पर जाने का आदेश मिला, तीसरी फ़ौज के सालार हज़रत अम्र बिन आस रज़ि0 थे, वह साहिल (समुद्री तट) के साथ साथ बढ़ी, फिर हजरत अबू उबैदह बिन जर्राह को अधिक कुमक दे कर पहली तीन फ़ौजों का मुख्य सेना पति बना दिया गया।

जब यह मालूम हुआ कि शाम (सीरिया) में रूम के बादशाह क़ैसर ने बड़ा भारी लशकर जमा कर लिया है तो हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने हज़रत खालिद रज़ि0 को भी इराक़ के महाज़ (मोर्चे) से सीरिया जाने का हुक्म दे दिया, चुनांचि वह इराक़ से दौमतुल जुन्दल (वर्तमान जौफ़) पहुंचे और वहां से सरहान की घाटी के रास्ते सीरिया चले गये, उन्होंने कई छोटी बड़ी लड़ाईयाँ कीं

और सब में विजय पाई, बड़ी लड़ाई "अजनादीन" के मुक़ाम पर हुई जो दो दिन तक चलती रही फिर आगे बढ़ कर दमिश्क़ का मुहासरा (घेराव) कर लिया।

ख़लीफ़-ए-रसूल की वफ़ातः-

दमिश्क़ अभी फ़तह नहीं हुआ था कि हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गये, एक दिन मौसम ठण्डा था, आपने ग़ुस्ल किया, तो बुख़ार आ गया जो बहुत तेज़ हो गया और पन्द्रह दिन तक रहा, जिस की वजह से आप रज़ि0 में मस्जिद जाने की ताक़त भी न रही, इसी हालत में 22 जुमादल आख़िर सन् 3 हिजरी, 23 अगस्त सन् 634 ई0 की शाम को पीर के दिन वफ़ात पाई। जब जिन्दगी से मायूस हो गये तो सहाबा रज़ि0 के कहने और उनके मशवरे से हज़रत उमर रज़ि0 को जानशीन (उत्तराधिकारी) नियुक्त किया और कहा ख़ुदा के यहां मुझ से पूछा जायेगा तो जवाब दूंगा कि मैंने ख़िलाफ़त के लिए उस आदमी को चुना जो उम्मत में बेहतरीन था।

◆◇◆

मोमिन

मोमिन जो ईमान है रखता रब से महब्बत रखता है
रब की महब्बत बहुत ज़ियादा मोमिन दिल में रखता है
होता है महबूब ख़ुदा का नबी की ताअ़त करने से
हुब्बे नबी वह रखता है और हम्द ख़ुदा की करता है
पाँचो वक़्त नमाज़ें पढ़ता, रोज़े रखता रमज़ां के
हुई जो ताक़त हज्ज है करता माल का हक़ यह देता है
रोज़ी खाता है वह हलाल, हरगिज़ खाता नहीं हराम
रोज़ी कमाने का वह जरीआ, जाइज़ शुग़्ल ही चुनता है
करता मदद यतीमों की बेवाओं मुहताजों की
ख़ल्क़े ख़ुदा की ख़िदमत कर के रब को राज़ी करता है
सलामो रहमत नबी पे पढ़ना उसके हैं मअ़मूल में
आल और अस्हाबे नबी को उसमें शामिल रखता है

कुर्आन की शिक्षा.....

मुर्दा पैदा हुआ तो सब खा सकते हैं न जाने क्या क्या खुराफ़ात गढ़ रखी थीं।

5. जैसे यह कि अगर लगातार दस बेटे पैदा हों तो दसवें को कुर्बान कर देना ज़रूरी समझते थे और नादानी में दीन व दुन्या का नुकसान करते थे।

6. जो टट्टियों पर चढ़ाये जाते हैं जैसे अंगूर आदि और जो ऐसे नहीं जैसे, खजूर, आम, अमरूद आदि।

7. मक्के में भी पैदावार में से कुछ देने का आदेश था फिर मदीने में उसको स्पष्ट रूप से बयान कर दिया गया, जिसकी सिंचाई करनी पड़े उसमें बीसवां हिस्सा वरना दसवां हिस्सा आदि।

8. बोझ लादने वाले जैसे ऊँट वगैरह और छोटी काया के जैसे भेंड़ बकरी आदि, जो अल्लाह ने वैध किया वह खाओ, अपनी ओर से हलाल व हराम मत बताओ।

❖❖❖

—प्रस्तुति—
जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

इस्लाम में मुआ़लिजीन की अहम्मीयत और उनका रुत्बा

—मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्ला रहमानी —हिन्दी लिपिः फ़ौज़िया फ़ाज़िला

किसी भी समाज में डॉक्टर और मुआलिज की खास अहम्मीयत है, अल्लाह तआ़ला ने इन्सान को इस दुन्या में ऐसा वजूद अता किया है जिस में खूबियों और सलाहियतों के साथ साथ ख़ामियों और मजबूरियों की आमेज़िश भी पाई जाती है, इन्सान की ताक़त व कुव्वत का हाल यह है कि काएनात की बड़ी से बड़ी और ताक़तवर से ताक़तवर तरीन मख़लूक़ भी इन्सान की वक़्त की तस्ख़ीर की असीर है, लेकिन दूसरी जानिब इस के साथ साथ इसकी कमज़ोरी और नाताक़ती का हाल यह है कि मामूली कीड़े मकोड़े भी उसे नुक़्सान पहुंचा सकते हैं।

एक बालिश्त का साँप भी उसकी जान ले सकता है और बीमारियाँ उसे आसानी से पिछाड़ सकती हैं। अल्लाह तआ़ला ने इस काइनात में ज़हर के साथ साथ उस का तिरयाक़ भी पैदा फरमाया है और बीमारियों के साथ साथ उन का इलाज भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया ''अल्लाह तआ़ला ने बुढ़ापे के सिवा हर बीमारी की दवा पैदा की है''।

(सुन्न अबी दाऊद, हदसी —3857)

अब यह इन्सान का काम है कि वह अल्लाह तआ़ला की दी हुई अ़क़्ल और तजरिबा की कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए दवाओं को दरयाफ़्त करे, इस काम को मेडिकल साइंटिस्ट और डॉक्टर अनजाम देते हैं, इसलिए इसमें कोई शुब्ह नहीं कि इन्सानी ख़िदमत के पहलू से उन की ख़िदमात निहायत अहम हैं, भूखे को खाना खिलाना, मोहताज को कपड़े पहनाना, माज़ूर के काम में हाथ बटाना और ज़रूरत मंद की हाजत पूरी करना यह सब मख़लूक़ की ख़िदमत है लेकिन इन्सान सब से ज़ियादा ख़िदमत का मोहताज उस वक़्त होता है जब वह मरीज़ हो, बीमारी इन्सान को उस मक़ाम पर पहुँचा देती है कि खाना मौजूद होने के बावजूद खा नहीं सकता, हाथ पाँव सलामत हैं लेकिन वह एक क़दम चल नहीं सकता, और तीमार दारों और मददगारों के रह़म व करम का मोहताज हो जाता है, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मरीज़ की इयादत और तीमारदारी को बेहद अज्र का बाइस क़रार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया "जब तक एक शख़्स मरीज़ की इयादत में रहता है गोया वह जन्नत के बाग़ में है''।

(मुस्लिमः 6551)

इस तरह डॉक्टर गोया अपनी ड्यूटी के पूरे वक़्त इस हदीस का मिस्दाक़ होता है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि ''लोगों में सब से बेहतर वह है जो लोगों को सबसे ज़ियादा नफ़अ़ पहुंचाए'' और कौन है जो इन्सानों के लिए डॉक्टर और मुआ़लिज से बढ़ कर नाफ़ेअ़ हो? इस तरह गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बारगाह से डॉक्टर को ''ख़ैरुन्नास'' (बहतरीन इन्सान) का एवार्ड मिला है इससे बढ़ कर और क्या एअ़जाज़ हो सकता है? फ़न्ने तिब की इसी अहम्मीयत की वजह से सय्यिदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि ''अस्ल इल्म दो ही हैं ''फ़िक़्ह़ की ज़िन्दगी गुज़ारने का तरीक़ा मालूम हो और तिब ताकि जिस्मे इन्सानी की इस्लाह पर कुदरत हो सके''।

वाक़िआ़ है कि यह गिरोह इन्सानियत का सब से बड़ा मोहसिन है और इस निसबत से उसकी तौक़ीर व तकरीम समाज का फ़रीज़ा है, बाज़ दफ़अ़ ऐसा होता है कि इलाज से जलदी फ़ाइदा नहीं हुआ, या मरीज़ की मौत वाक़ेअ़ हुई तो लोग डॉक्टर से उलझ जाते हैं, और बाज़ दफ़अ़ उस की जान के भी लाले पड़ जाते हैं, यह गैर संजीदा तर्ज़े अ़मल है, इसलिए कि इलाज तो इन्सान के इख़्तियार में है लेकिन सिह़त व शिफ़ा ख़ुदा की मशिय्यत के बग़ैर हासिल नहीं होती, ''और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफ़ा देता है''।

(शोअ़राः 80)

डॉक्टर को ज़िन्दगी बचाने का मुकल्लफ़ क़रार देना उस पर उसकी सलाहियत से ज़ियादा बोझ डालने के मुतरादिफ़ है–

जो शख़्स जिस मुक़ाम का हामिल होता है उसी निस्बत से उसकी ज़िम्मेदारीयाँ भी होती हैं, इसलिए डॉक्टर और मुआलिज हज़रात को अपनी ज़िम्मेदारियों पर भी तवज्जुह देनी चाहिए। डॉक्टर का बुन्यादी फ़रीज़ा यह है कि वह इस पेशे में ख़िदमत के पहलू को मुक़द्दम रखे, हम यह तो नहीं कह सकते कि वह मरीज़ों का मुफ़्त इलाज करे और अपने घर से दवाएं ला कर खिला दे, लेकिन यह ज़रूर है कि उस पेशे को महेज़ तिजारत और बिज़नेस न बनाया जाए बल्कि उजरत के साथ साथ अज्र के पहलू को भी मलहूज रखा जाये। इस वक़्त सूरते हाल यह है कि तालीम और इलाज ने एक ज़बरदस्त कारोबार की सूरत इख़्तियार कर ली है, मआशी कशिश की वजह से बहुत से होटल हास्पिटल में तबदील हो गये हैं। डॉक्टरों की फीस मरीज़ के लिए नाक़ाबिले बरदाश्त बोझ बन गई है, फिर फीस के सिलसिले में भी एक नई रिवायत यह भी क़ाइम हो रही है कि मरीज़ जितनी बार मश्वरे के लिए जाये हर बार फीस अदा करे। इस तरह बाज़ औक़ात हर हफता डॉक्टर फीस वसूल कर लेते हैं। फिर आमदनी के बिलवास्ता ज़राएअ़ भी पैदा

कर लिए गये हैं, दवाएं लिखी जाती हैं और मख़सूस व मुतअय्यन दुकानों से दवा ख़रीदने को कहा जाता है ताकि उन से कमीशन मिल सके, मरीज़ पर बोझ डालने और अपने जेब भरने के लिए ऐसा भी होता है कि जो दवाएं पहले लिखी गईं थीं अभी वह ख़त्म भी नहीं हुईं कि दवा तबदील कर दी जाती है और उसी फारमूले की दूसरी दवा जिस का नाम कम्पनी बदल जाने की वजह से बदला हुआ है, लिख दी जाती है, बेचारे मरीज़ को डॉक्टर साहिब की इस होशियारी की ख़बर भी नहीं होती, यह भी देखा गया है कि जितनी दवा मतलूब है उससे ज़ियादा लिख दी गई और चन्द दिनों में नुस्ख़ा बदल गया और ज़ाइद दवाएं बेकार हो गईं, यह भी होता है कि नक़ली दवाएं या ऐसी दवाएं जिन की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, दी जाती है और मेअ़यारी दवाओं की क़ीमत वसूल की जाती है।

अम्राज़ के टेस्ट का मामला तो सब से सिवा है, बे मक़सद टेस्ट कराए जाते हैं, मरीज़ ने अगर किसी दूसरे डॉक्टर से टेस्ट क़राया हो तो चाहे वह रिपोर्ट दो दिन पहले ही की क्यों न हो लेकिन नया डॉक्टर फिर से पूरे टेस्ट कराता है और यह ज़रूरी क़रार दिया जाता है कि डॉक्टर ने जिस पैथालॉजिस्ट का मशवरा दिया है उसी के यहां टेस्ट कराया जाए, इन इकदामात में मुख़्लिसाना जुस्तजू व तहक़ीक का जज़बा शाज़ो नादिर ही होता है, अक्सर इस का मक़्सद ज़ियादा से ज़ियादा कमाना और अपनी जेब भरना होता है, ऐसा भी होता है कि एक डाक्टर दूसरे डॉक्टर या किसी ख़ास हास्पिटल को मरीज़ रिफ़र करता है, यह तमाम सूरतें अगर मरीज़ की भलाई के जज़बे से हों जब तो उनकी इफादीय्यत से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन अफ़सोस कि उन सब का मक़सद कमीशन खाना होता है, दवाओं पर कमीशन, टेस्ट पर कमीशन, मरीज़ के भेजने पर कमीशन और जहां जहां मुम्किन हो वहां वहां से कमीशन का हुसूल, उन कमीशनों की बढ़ती हुई शरहों ने मरीज़ की कमर तोड़ दी है, ग़रीब लोगों के लिए हास्पिटल जाने का तसव्वुर भी एक बोझ होता है, यह कमीशन फ़िक़्ही एतिबार से रिश्वत है, उसका लेना हराम है, और उस में वास्ता बन्ना भी हराम है।

हुकूमत की तरफ़ से इस बात पर पाबन्दी है कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर अलग से अपने नर्सिंग होम चलाएं, लेकिन जिसे ख़ौफ़ न हो उसके क़दम कौन थाम सकता है चुनांचि आ़म तौर से सरकारी डॉक्टर्स भी फ़रज़ी नामों से नर्सिगं होम चलाते हैं, जो मरीज़ सरकारी हास्पिटल में आता है उसे बे

तवज्जुही से देखते हैं और सराहतन या इशारतन उसे नर्सिंग होम में आने की दअ़वत दी जाती है या अ़मली तौर पर उसे उस पर मजबूर कर दिया जाता है ताकि इससे ज़ियादा से ज़ियादा पैसे ऐंठे जा सकें, इस अमल में झूठ भी है और धोखा भी।

❖❖❖

इन्सान का सबसे बड़ा.....

के वक़्त तो फिरअ़ौन भी ईमान लाने लगा था जिसका ज़िक्र कुर्आन में इस तरह है ''फिरअ़ौन जब डूबने लगा तो उसने कहा मैं इस बात पर ईमान लाया कि उस ख़ुदा के सिवा कोई दूसरा मअ़बूद नहीं जिस ख़ुदा पर बनी इसराईल ईमान लाए हैं। और मैं भी फरमाबरदारों में शामिल होता हूँ''।

(सूरः यूनुसः 90)

तो अल्लाह तअ़ाला ने कहा ''क्या अब ईमान लाता है? हालांकि इससे पहले तू ना फरमानी करता रहा'' (यूनुसः 91)

इस जवाब से ज़ाहिर होता है कि उसका ईमान कुबूल नहीं किया गया, सूरे निसा में आख़िर वक़्त के ईमान को कुबूल न किये जाने को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अनुवादः ''सिवाए उसके नहीं कि जिस तौबा का कुबूल करना अल्लाह के ज़िम्मे है तो वह उन लोगों की तौबा है जो नादानी से कोई बुरा काम कर गुज़रते हैं फिर क़रीब ही वक़्त में मौत हाज़िर होने से पहले तौबा कर लेते हैं तो यही लोग है जिन की तौबा अल्लाह कुबूल फरमा लेता है और अल्लाह तअ़ाला इल्म वाला और हिकमत वाला है। और उन लोगों की तौबा कोई क़ाबिले तवज्जोह नहीं जो गुनाह करते रहते हैं यहां तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत ही आ खड़ी हो यानी मौत के फिरिश्ते नज़र आने लगें तो कहने लगे मैं अब तौबा करता हूँ और न उन लोगों की तौबा क़ाबिले तवज्जोह है जो कुफ़्र ही की हालत में मरे हैं ये वह लोग हैं जिन के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है''।

(अल निसाः 17–18)

अल्लाह तअ़ाला बड़े दुशमन शैतान के शर से बचाए और अपनी पनाह में रखे जब कोई गुनाह हो जाए तो तौबा की तौफ़ीक़ दे, अल्लाह तअ़ाला अपनी महब्बत और इताअ़त की तौफीक़ दे, अल्लाह तअ़ाला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महब्बत और उनकी इताअ़त की तौफ़ीक़ दे और उन पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ दे। आमीन!

❖❖❖

नबी-ए-रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

—हज़रत मौ0 सै0 राबे हसनी नदवी

—हिन्दी लिपिः राशिदा नूरी

फरके मरातिब :–

अल्लाह तआला फरमाते हैं ''अरबों को खिताब है कि तुम ही में का एक फ़र्द है और उसको तुम्हारे दुख व दर्द की बे हद फ़िक्र और एहसास है, वह तुम्हारा बेहद ख़याल करने वाला है, और ईमान ले आने वालों के लिए तो बहुत ही शफ़ीक और रहम दिल है, और ख़ुद हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुख़ातब करके फरमाया कि तुम को हमने तमाम जहानों के लिए रहमो करम बना कर भेजा–

दोनों आयतों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शख्सियत का ये पहलू कि ''वह सारे जहानों के लिए एक करमो रहमत हैं'' ज़ाहिर होता है और ये महज़ आपकी मद्ह नहीं है, बल्कि इस अर्ज़ो समां के ख़ालिक़ का क़ौल है जिससे हक़ीक़तें वाबस्ता हैं।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बेअ़सत से क़ब्ल दुन्या की क्या हालत थी और दुन्या किधर जा रही थी, उसको तारीख़ के जाइज़े से भी मालूम किया जा सकता है, इन्सान ने ख़ुद को बनी नौअ़ इन्सान के मुख़्तलिफ़ तब्क़ात में बाँट रखा था जिसमें चन्द अफ़राद जो ताक़त और वसाइले ज़िन्दगी के सहारे बड़े बन जाते थे, और दूसरों को ग़ुलाम ही नहीं बल्कि गुलामों से बदतर ही काम नहीं लेते थे बल्कि उनको अपनी तफ़रीह़ात के लिए भी सफ्फाक़ी और ज़ुल्म के साथ इस्तेमाल करते थे, अपने जश्न और दावतों के मौक़ों पर उन को फुलझड़ी की तरह जला कर महफिल को संवारा करते थे, खूंख्वार जानवरों से कुश्ती कराते और उसके शिकस्त खा कर मरने की हालत को बड़े शौक़ और दिलचस्पी से देखते थे और ये काम लोगों का मजमा ज़मा कर के स्टेडियम में होता था, और दूसरी तरफ़ सामाने ऐश व सलतनत रखने वाले अपने लिए ऐसी नेमतें जमा करने के आदी होते कि उनके तसव्वुर से आदमी हैरान रह जाए। बादशाह के ताज की क़ीमत और उसके दरबारियों के पगड़ियों की क़ीमतें हैरान कुन होती थीं। और उनके बग़ैर वह अपने को बाइज़्ज़त नहीं समझते थे। खाने पकाने और गाने बजाने वालों की एक बड़ी तअ़दाद होती थी, औरत को सिर्फ ऐश का ज़रिआ़ समझा जाता था, और उसकी ख़ातिर और इज़्ज़त सिर्फ उसी लिहाज़ से होती थी उसके अलावा भी उसको मर्दों के मुक़ाबले में पस्त और ना पसंदीदा समझा जाता था, वह अपने माँ–बाप के घर में

भाइयों के मुक़ाबले में कम तर समझी जाती , उसको माँ–बाप के साथ भाइयों की भी ख़िदमत करना लाज़िम होता, उनकी तरह मुअ़ज़्ज़ज़ दर्जा नहीं दिया जाता था। और उसका पैदा होना मुसीबत समझा जाता, शादी के बाद उस का तअ़ल्लुक़ अपने माँ–बाप के घर से ख़त्म हो जाता, मीरास में भी उसको हिस्सा नहीं मिलता, वह हक़ सिर्फ भाइयों का होता, शौहर के मर जाने के बाद उसकी मिट्टी और भी पलीद हो जाती, मैके से तअ़ल्लुक़ तो ख़त्म था, अब अपने शौहर के घर में महज़ ख़ादमा और नौकरानी की पोज़ीशन में रहना होता।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ग़ुलामों और औरतों दोनों को उनका इन्सानी हक़ दिलाया, और उनको इसी तरह मुअ़ज़्ज़ज़ और हक़दार इन्सान क़रार दिया, फिर जिस तरह इंसानों के दूसरे तबक़ात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने साफ एलान फरमा दिया कि देखो, तुम सब एक इन्सान आदम की औलाद हो, तुम सब बराबर हो, गोरें हों या काले, अ़रब हों या ग़ैर अ़रब कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं, हाँ नेकी और ख़ुदा तरसी की बुन्याद पर आदमी बड़ा हो सकता है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस पर अमल करवाया और खुद भी किया और दुन्या को दिखा दिया कि इन्सानों की आपस की मसावात कैसे होती है, ईरान के सलमान फारसी रज़ि0, अफ्रीक़ा के बिलाल हब्शी रज़ि0, रोम के सुहैब रूमी रज़ि0, को अपने साथ इस तरह रखा कि जैसे अपने अफ़राद ख़ानदान को रखते थे, अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसा रज़ि0 को आज़ाद कर के अपने बेटे की तरह रखा, यहाँ तक कि लोग उनको आप का बेटा कहने लगे फिर अपनी फूफी ज़ाद बहन को उनकी ज़ौजियत में दे कर दुन्या को हैरान कर दिया। औरत के हुक़ूक़ को अदा करने का सख़्त हुक्म दिया, उनका हक़ मीरास भी रखा, शादी हो जाने के बाद भी उसके माँ–बाप को उसकी फिक्र व ख़याल का हुक़्म दिया, और शौहर को अपनी सतह के मुताबिक़ ज़िन्दगी के वसाइल मुहय्या करने का हुक्म दिया, और निबाह न होने पर दोनों की अलाहेदगी का इन्तज़ाम तै फरमाया, दौलत को एअ़तिदाल और इन्साफ के साथ ख़र्च करने का हुक्म दिया, बुख़्ल से भी मना किया, और इसराफ से भी रोका। दौलत मन्दों पर ग़रीबों की मदद और हमदर्दी ज़रूरी क़रार दी बल्कि उनकी दौलत में उनका हक़ मुक़र्रर कर दिया। किसी का माल नाहक़ लेने, किसी की इ़ज़्ज़त को नुक़सान पहुँचाने, किसी की

जान को बिला हक़ लेने को हराम क़रार दिया, हक़ तलफी या बिला वजह जान लेने पर इन्तिक़ाम लेने की इजाज़त दी, लेकिन इस इन्तिक़ाम में हक़ व इंसाफ़ से तजावुज़ करने को हराम क़रार दिया और उन बातों का सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि उन पर अमल करने वाला पूरा मुआ़शरा तैयार किया, और उन्हीं उसूल पर अ़मल करने की आ़दत डाली, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मानने वालों की ज़िन्दगियों में भी उन पर पूरा अ़मल करने के अज़ीब नमूने सामने आये कि हज़रत अबू बक्र रज़ि ने जब जिहाद के लिए फौज भेजी तो हुक्म दिया कि दुशमन के इबादत गाहों में इबादत करने वालों को बिल्कुल न छेड़ा जाए, किसी इलाक़े पर फौज कशी सिर्फ उस वक़्त की जाए जब उनसे इस्लामी उसूलों के मुताबिक़ बात करने के बाद मुआ़हदे होने से मायूसी हो जाए, और जो इलाक़ा फतेह हो वहां के बाशिन्दों की किसी चीज़ को बग़ैर उसकी क़ीमत अदा किये हुए न लिया जाए और किसी को अपने मज़हब के छोड़ने पर मजबूर न किया जाय।

हज़रत उमर रज़ि0 को बैतुलमुक़द्दस के हुकमरां ने वहां की हुकूमत सुपुर्द कर देने के लिए बुलाया तो आप जिस सवारी पर चले गये, उस पर एक आदमी बैठ सकता था, आपके साथ आप का ग़ुलाम था, आपने अपने और उसके दरमियान बारी तक़सीम कर ली कि कुछ दूर आप बैठते वह पैदल चलता, फिर वह बैठता और आप पैदल चलते, इस तरह जब बैतुलमुक़द्दस का शहर क़रीब आया तो बारी गुलाम की थी, गुलाम ने बहुत चाहा कि शहर में दाख़िल होते हुए आप ही सवारी पर बैठें लेकिन आप राज़ी नहीं हुए।

ईरानी शहनशाह की जब शिकस्त हुई, उसका हीरे जवाहरात का ताज एक मुसलमान के हाथ आया, उन्होंने अपने दामन में छुपा कर ला कर अपने अमीर के सुपुर्द कर दिया, और अपना नाम भी नहीं बताया कि ये काम मैंने अल्लाह तआ़ला के लिए किया है, वह मेरा नाम जानता है।

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी तालीम व तरबियत से ऐसा मुआ़शरा तैयार कराया जिसका एक एक फ़र्द आख़िरत के सवाब की फिक्र करने वाला दुन्या की लज़्ज़तों से बे रग़बत था। हक़ पर जान देने वाला हक़ के लिए बड़ी से बड़ी क़ुरबानी से दरेग़ न करने वाला, हर मुआ़मले में पूरे इंसाफ के साथ काम करने वाला, बेगुनाह और कमज़ोर की रिआ़यत करने वाला, ख़्वाह वो ग़ैर मुस्लिम हो, जानवरों तक पर रहमदिली करने वाला था। हक़ की तबलीग़ और इस्लाम की नशरो इशाअ़त में हमदर्दी

और रहम दिली का रवय्या रखने वाला, माँ–बाप, पड़ोसी, और जिसके जिसके जो हुक़ूक़ इस्लामी शरीअ़त में बताए गये उनके हुक़ूक़ अदा करने वाला था।

इस तरह दुन्या ने अख़्लाक़ व इन्सानियत और भाई चारा की फज़ा का एक ऐसा नमूना देखा जिसकी नज़ीर इस से पहले की तारीख़ में नहीं मिलती, इससे क़ब्ल पूरी इन्सानियत, ज़ुल्म और नाइन्साफी और लज़्जत कोशी और इज़्ज़त व ज़िल्लत के झूठे पैमानों के ऐसे मक़ाम पर पहुंच गई थी कि उसके बाद इन्सानियत ख़ुद अपने हाथों से ख़ुदकुशी कर लेती।

दूसरी तरफ़ दुन्या ने इल्म में ऐसी तरक़्क़ी कर ली थी, ताक़त व राहत और तरक़्क़ी के ऐसे वसाइल हासिल कर लिए थे कि तमद्दुन तहज़ीब की चमक दमक, निगाह को ख़ीरा बनाती थी। एक तरफ़ सासानी इम्पायर था दूसरी तरफ़ रूमी इम्पायर था, और दुन्या उनकी ताक़त व तरक़्क़ी को देख कर हैरान व परेशान थी लेकिन इन्सानियत ज़ुल्म व हक़ तल्फ़ी, संगदिली और लज़्ज़त कोशी, ऊँच–नींच के ज़ालिमाना निजाम के नीचे सिसक रही थी और हुकूमत करने वालों, ऐश व लज़्ज़त के मतवालों, इल्मो हुनर के माहिरों और फ़ल्सफ़ा व हिकमत और मज़हब के पेशवाओं को इसका एहसास न था, और एहसास था तो वह अपने को उसकी तबदीली से आ़जिज़ महसूस करते थे और हालात के साथ ख़ुद भी बह रहे थे कि अल्लाह तआ़ला को इन्सानियत पर रहम आया और उसने उस गन्दे और ज़ालिमाना माहौल को बदल देने के लिए नबी का इन्तिख़ाब किया, उसको मुकम्मल शरीअ़त, मुकम्मल ज़ाबता अ़मल दिया। उसको आखिरी नबी बनाया और उसको वह शरीअ़त दी जिसने दुन्या के बदलते हुए हालात और इल्मोहुनर के इन्तिहाई तरक़्क़ी के आने वाले ज़मानों में ज़िन्दगी के तकाज़ों के साथ भी ये हम आंहंग हो सके, और इन्सानियत के इख़्तिताम तक काम आ सके और जिससे इन्सान के बदलते हुए हालात में जो नये तक़ाज़े उभरें उसमें भी उनका जवाब मिलता रहे। इस तरह इन्सानियत की ज़िन्दगी की सलामती और खैर की कश्ती क़यामत तक आसूदगी और राहत के साथ चल सकती है, और वह रहमत व नेअ़मत ख़ैरो बरक़त जो नबी आख़िरुज़्ज़मां हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ले कर आये, उसी तरीक़े से ज़ारी है और अल्लाह तआ़ला का वादा काइम व दाइम है कि हमने तुम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।

(तामीरे हयात 10 नवम्बर 2019 से गृहीत)

❖❖❖

आप के प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः अगर कोई मुसलमान जुमा के दिन अज़ान के फौरन बाद जामे मस्जिद की तरफ़ रवाना हो जाए लेकिन दुकान बन्द न करे बल्कि किसी गैर मुस्लिम मुलाज़िम को दुकान पर सामान फरोख़्त करने के लिए बिठा दे तो क्या शरअ़न इसकी इजाज़त है? दुकान बन्द न करने की वजह से गुनाह तो नहीं होगा?

उत्तरः अल्लाह तआ़ला का जुमा के दिन मोमिनीन के लिए अज़ान होते ही जुमा की नमाज़ की तरफ़ जाने और खरीद व फरोख़्त तर्क कर देने का हुक्म है ''जब जुमे की नमाज़ के लिए अज़ान हो तो नमाज़ के लिए चलो और खरीद व फ़रोख़्त बन्द कर दो''। (सूरे जुमाः 9) अस्ल हुक्म तो यही है लेकिन दुकान पर गैर मस्लिम मुलाज़िम हो और वह सामान फरोख़्त करे तो यह अगर्चे नाजाइज़ नहीं होगा लेकन एहतियात और जुमा की अहमीयत व फज़ीलत का तक़ाज़ा यह है कि अज़ान अव्वल के साथ दुकान बन्द कर दी जाए ताकि जुमा के दिन की अज़मत और शान व शौकत में इज़ाफा हो, और उस पर अमल करने में ही बेहतरी है जैसा कि आयत में आगे सराहत है ''यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो''।

(सूरे जुमाः 9)

प्रश्नः जुमा के दिन पहली अज़ान मिनारा पर होती है, बाज़ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह अज़ान न दी थी और न उस का हुक्म दिया था बल्कि यह एक बिदअ़त और गैर शरई अमल है, जो हज़रत उस्मान रज़ि0 के दौर से शुरुअ़ हुआ, क्या उन लोगों का ख़्याल सहीह है?

उत्तरः जुमा के दिन मिनारा से अज़ान इस लिए दी जाती है ताकि लोग मस्जिद की तरफ़ आयें, उसको बिद्अ़त या ग़ैरशरई अमल कहना सहीह नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में मुसलमान कम थे, एक अज़ान जो मिम्बर के पास होती थी वह काफी थी, बाद में मुसलमान दूर दूर तक फैल गए तो अज़ान मिम्बरी काफी न रही इसलिए हज़रत उस्मान रज़ि0 के ज़माने में सहा—बए—किराम रज़ि0 के मशवरे से पहली अज़ान का इज़ाफा हुआ। और यह मशवरा व फैसला इजमा कहलाता है जो हुज्जत शरई है, दूसरी बात यह है कि हज़रत उस्मान रज़ि0 ख़ुलफाए राशदीन में से हैं और रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुलफाए राशिदीन के तरीक़ा को सुन्नत फरमाया है, इसलिए इसको बिदअ़त या गैर शरई नहीं कहा जा

सकता है, हदीस में है ''तुम पर मेरी सुन्नत ज़रूरी है और मेरे खुल्फाए राशिदीन की सुन्नत भी।''

प्रश्नः ख़ुत्बा जुमा के क़ब्ल मस्जिद में जो तक़रीरें होती हैं उन में बाज़ ऐसे ख़तीब जो बूढ़े नहीं होते वह भी मिम्बर पर कुर्सी पर बैठ कर तक़रीर करते हैं, बाज़ लोगों को एतराज है कि जब ख़ुत्बा खड़े हो कर दिया जाता है तो यह तक़रीर भी खुत्बा के दर्जे में खड़े हो कर की जानी चाहिए, इस बारे में हुक्म शरअ़ क्या है?

उत्तरः तक़रीर व बयान की हैसीयत ख़ुत्बा की नहीं है, बल्कि उमूमी नसीहत व तज़किरे की है, इसलिए मिम्बर या कुर्सी पर बैठ कर बयान करने में कोई हरज़ नहीं है, तक़रीर करने वाला जवान हो या बूढ़ा इससे हुक्मे शरअ़ पर कोई फर्क़ नहीं है।

(किताबुल फतावाः 8/190)

प्रश्नः जुमा के ख़ुत्बे में अगर दरमियान में बैठे बगैर दोनों ख़ुत्बे एक साथ दे दिये जायें तो क्या यह ख़ुत्बा काफ़ी होगा या नहीं? दरमियान में बैठना ज़रूरी है?

उत्तरः दो ख़ुत्बे देना मस्नून है, और यह भी मस्नून है कि उन दोनों के दरमियान तीन आयात की तिलावत के बक़द्र बैठा जाए, लिहाजा अगर दरमियान में बैठा न जाए तो सुन्नत का तर्क लाज़िम आयेगा और गुनाह होगा, अलबत्ता दोनों ख़ुत्बे ज़रूरी नहीं हैं, कम अज़ कम एक ख़ुत्बा शर्त है, अगर कोई ख़तीब एक ही ख़ुत्बा पर इक्तिफा करे ले तो ख़ुत्बा अदा हो जाएगा, और नमाज़े जुमा दुरुस्त हो जाएगी।

(रद्दुल मुख्तारः 3/20)

प्रश्नः ख़ुत्बा जुमा शुरुअ़ हो जाने के बाद जुमा से क़ब्ल की सुन्नत नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है? मस्जिदों में देखा जाता है कि बाज़ लोग दौराने ख़ुत्बा भी सुन्नत अदा करते हैं क्या यह मम्नूअ़ नहीं है? इसी तरह ख़ुत्बा से क़ब्ल जो बयान होता है इस दौराने सुन्नत नमाज़ पढ़ी जा सकती है या नहीं?

उत्तरः हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से मरवी है कि ज्यों ही इमाम ख़ुत्बा के लिए निकलता है उस वक़्त से ही गुफ़्तुगू करना या नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, उन हज़रात सहाबा रज़ि0 की राय यही थी, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में सराहत है ''इमाम के निकलने के बाद सहाबा नमाज पढ़ना मकरूह समझते थे''।

इसलिए ख़ुत्बा शुरुअ़ हो जाने के बाद तहीय्यतुल मस्जिद या सुन्नत जुमा नहीं पढ़नी चाहिए, अलबत्ता खुत्बा से क़ब्ल के बयान के दौरान नमाज़ सुन्नत पढ़ी जा सकती है क्योंकि यह बयान ख़ुत्बा के दर्जे में नहीं है।

प्रश्नः अगर कोई शख़्स सुन्न्त जुमा पढ़ रहा हो कि जुमा का ख़ुत्बा शुरुअ़ हो जाए तो क्या ख़ुत्बा सुन्ने के

लिए सुन्नत को छोड़ देना चाहिए? बाज़ लोगों का ख़याल है कि चुंकि ख़ुत्बा सुन्ना वाजिब है, इसलिए वाजिब पर अमल करने के लिए सुन्नत छोड़ना ज़रूरी है?

उत्तरः सुन्नत शुरुअ़ करने के बाद ख़ुत्बा शुरुअ़ हो तो सही यही है कि सुन्नत को पूरी करें, तोड़ें नहीं, मशहूर फक़ीह अल्लामा इब्ने नजीम मिस्री रह0 ने यही लिखा है कि सुन्नत मुकम्मल कर लें''

प्रश्नः अगर ख़ुत्बा एक शख़्स दे और नमाज़ दूसरा शख़्स पढ़ाए तो क्या शरअ़ में इसकी इजाज़त है, क्या इमाम ही के लिए ख़ुत्बा देना ज़रूरी है?

उत्तरः बेहतर यही है कि एक ही शख़्स ख़ुत्बा भी दे और नमाज़ भी पढ़ाए लेकिन अगर दो अलग अलग अफ़राद ने अलग अलग ज़िम्मेदारी अन्जाम दी, एक ने ख़ुत्बा दिया और दूसरे ने नमाज़ पढ़ाई तो यह भी दुरुस्त है, इस से न ख़ुत्बा पर कोई असर पड़ेगा और न नमाज़ पर, अल्लामा शामी ने इस की सराहत की है ''नहीं चाहिए कि दो अलग अलग पढ़ें लेकिन अगर पढ़ा दें तो जाइज़ हैं''।

प्रश्नः किसी इन्सान का खून दूसरे इन्सान के बदन में दिया जा सकता है?

उत्तरः ख़ून इन्सान का जुज़ है और जब बदन से निकाला जाए तो नजिस भी है, इसलिए इस का अस्ल तकाज़ा यह है कि किसी दूसरे इन्सान के जिस्म में दाख़िल न किया जाए लेकिन अगर मरीज़ की हालत ऐसी हो कि बदन में ख़ून दाखिल किए बगैर जान बचना मुश्किल हो और मुस्लिम माहिर तबीब का मश्वरा हो तो मजबूरी की हालत में जान बचाने की ग़रज़ से एक इन्सान का खून दूसरे इन्सान के जिस्म में दिया जा सकता है।

(फतावा हिंदियाः 5/355)

प्रश्नः क्या खून की खरीद फ़रोख़्त जाइज़ है? न मिलने की सूरत में अतीया करना या अतीया न मिलने की सूरत में खरीदना जाइज़ है?

उत्तरः इन्सानी जिस्म के किसी भी जुज़ की ख़रीद व फ़रोख़्त जाइज़ नहीं है, लेकिन किसी इन्सान की जान बचाने के लिए बतौरे अतीया ख़ून न मिल सके तो मजबूरन खरीदने की इजाज़त होगी लेकिन बेचने वाले के लिए बेचना और उस की क़ीमत लेना शरअ़न जाइज़ नहीं है, अलबत्ता बतौरे अ़तीया किसी की जान बचाने के लिए देना दुरुस्त है।

(अलमबसूत लिलसरखसीः 15/127)

प्रश्नः आज कल ब्लड बैंक काइम हैं और रजाकाराना कैम्प भी खून का अ़तीया हासिल करने के लिए लगते हैं, क्या इसमें बतौरे अ़तीया खून देना दुरुस्त होगा, जब्कि बैंक में जमा करने की सूरत में जमा करते वक़्त मरीज को ज़रूरत नहीं है?

उत्तरः ऐसे ब्लड बैंक जहाँ लोग रज़ाकाराना तौर पर खून का अ़तीया देते हों, और वह ब्लड बैंक ज़रूरतमन्दों को मुफ़्त ख़ून फराहम करते हों तो

शेष पृष्ठ .....37...पर

शहरीयत तरमीमी क़ानून- तजज़िया अन्देशे और इम्कानात

(नागरिकता संशोधित क़ानून- विश्लेषण आशंकाएं तथा सम्भावनाएं)

—मौलाना शम्सुल हक़ नदवी

—हिन्दी लिपिः राशिदा नूरी

11 दिसम्बर 2019 ई0 को जम्हूरी मुल्क हिन्दोस्तान में ''शहरीयत तरमीमी बिल पास कर लिया गया, जिसको अकवामे मुत्तहिदा की हुकूक़ इन्सानियत के शोअ़बे ने ''फितरी तौर पर इम्तियाज़ी क़ानून'' और मुल्क की पार्लियामेंट में अपोजीशन पार्टियों ने ''ग़ैर क़नूनी'' क़रार दिया, जब कि मुल्क की रियासतों की हुकूमतों ने उस से इख़्तिलाफ़ कर के अ़दम तनफीज़ की बात कही है इस बिल के ख़िलाफ़ मुल्क के मुख़्तलिफ़ हिस्सों और दानिश गाहों में, शाहराहों पर निकल कर और मीडिया व सोशल मीडिया पर पेश हो कर मुल्क के मुख़्तलिफ़ बाशिन्दे एहतिजाज और अदम तसलीम की आवाज़ बुलन्द कर रहे हैं और बिल के हवाले से नाराज़गी और ग़म व गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। इस बिल की गूंज बैरून मुल्क भी पहुंच चुकी है और मुख़्तलिफ़ मुमालिक से सरकारी व ग़ैर सरकारी सतह पर रद्दे अमल सामने आया है।

मज़कूरह क़ानून की रू से तीन पड़ोसी इस्लामी मुमालिक पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बंगलादेश से ग़ैर क़ानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद अगर हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी हैं तो उनको एन.आर.सी. में हिन्दोस्तानी शहरी तसलीम कर के शामिल कर लिया जाएगा, और अगर मुसलमान हैं तो नहीं।

इस तरह ये बिल जो फिल वक्त अदालते आलिया में ज़ेरे ग़ौर है, आम दानिश्वरों की राय में दस्तूरे हिन्द की अहम और हस्सास आइनी शिक़ों (भागों) के ख़िलाफ मालूम होता है, इससे मुल्क की सैकुलर हैसियत खत्म होती महसूस होती है, और मुल्क के बाशिन्दगान के दरमियान अ़दम मसावात की फ़ज़ा हमवार हो सकती है।

इस बिल के जवाज़ के लिए सरकार की तरफ़ से जो वजह सामने आयी है उनमें से एक ये है कि चूंकि इन मुस्लिम मुमालिक में रहने वाले ग़ैर मुस्लिम वहां मजहबी तअस्सुब और बिलजब्र तबदील —ए—मजहब से परेशान हो कर हमारे मुल्क में आये हैं, लिहाजा उनके साथ रहम का मामला करते हुए हम उनको शहरीयत दे रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि मजलूम लोगों का साथ दिया जाये और ख़ास तौर पर मज़हबी तौर पर दरमान्दा लोगों को पनाह दी जाये, हम उसके लिए अपने

सीनों में कुशादगी रखते हैं, ताहम इसमें मज़हबी तफरीक़ नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी सभी मुमालिक के मज़हबी तअ़स्सुब का शिकार सभी पनाह गुज़ीनों के लिए क़ानून में गुंज़ाइश होनी चाहिए।

जहां तक मुस्लिम मुमालिक में बिलजब्र तबदीली मज़हब की बात है तो ये बहैसीयत मुस्लिम हमारे नज़दीक बड़े अफ़सोस और हैरत की बात है, क्योंकि कुरआनी व इस्लामी तअ़लीमात की रू से ये ना जाइज़ है कि किसी गैर मुस्लिम को डरा धमका कर, लालच दे कर यहां तक कि अख़्लाक़ी दबाव बना कर मुसलमान किया जाये। कुरआन की सरीह आयत है कि "मज़हब के मामले में कोई ज़ोर व ज़बरदस्ती नहीं", और कुरआन ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तलक़ीन की गई कि आप लोगों को ईमान लाने पर मजबूर नहीं कर सकते। (सूरः अल बक़रह–265)।

दूसरी वजह जो इस बिल के जवाज़ के लिए बयान की जा रही है। वह ये कि मुस्लिम मुमालिक से दहशत गर्द और शिद्दत पसन्द लोग हमारे मुल्क के अन्दर आ सकते हैं। ये मअ़कूल बात है कि ग़लत अ़नासिर को मुल्क में पनाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन यहां पर भी मज़हब की शर्त नहीं लगानी चाहिए। जिन पड़ोसी मुमालिक में किसी भी क़ौम या तबक़े की तरफ़ से किसी के भी ख़िलाफ़ शिद्दत पसन्दी के रुजहानात सामने आ चुके हैं, इन तमाम अक़वाम व तबक़ात के अफराद को मुल्क की शहरीयत देना मुनासिब नहीं होगा।

बिल के मुख़ालिफ़ लोगों से सरकार बार–बार कह रही है कि इस बिल से ग़ैर पनाह गुज़ीन मुल्क के असल शहरीयों को कोई ख़तरा नहीं है ये सिर्फ हिज़्ब इख़्तिलाफ का सियासी प्रोपेगण्डा है। यह बात सही है कि बिल में मुल्क के असल शहरीयों के निकालने से मुतअल्लिक़ कोई बात नहीं है लेकिन असल शहरीयत को साबित करने के लिए जो उमूर या काग़जात मतलूब है, उसकी वजह से मुल्क के अकसर शहरीयों को तशवीश है कि बहुत से असल शहरी वह फराहम नहीं कर पाएंगे उनमें से ग़ैर मुस्लिम फिर भी नये तरमीमी क़ानून के ज़रिए नई शहरीयत हासिल कर लेंगे, ताहम उनकी परेशानी की बात यह है कि उनकी नई इमलाक व जायदाद का क्या होगा? नीज़ ये कि वह अ़रसे तक जब तक कि एन.आर.सी. में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता हक़ राय दही और शहरी सहूलियात से महरूम रहेंगे। उनके बाज़ दानिशवरों का ये भी ख्याल है कि इस बिल के जरिए मुल्क की सेक्युलर हैसियत खत्म कर के मुल्क को एक खास तबके के मातहत बनाने की

कोशिश की जा रही है। वह समझ रहे हैं कि आज मुस्लिम तबके का नम्बर है, इसके बाद हमारा नम्बर है, रही बात मुसलमानों की तो उनको इस सिलसिले में सबसे ज़ियादा तशवीश है कि उनका एक बड़ा तबका हकीकतन हिन्दोस्तानी होने के बावजूद रिफ्युजी कैम्प में मुन्तक़िल हो जाएगा जहां वह तमाम शहरी सहूलियात से महरूम हो जायेगा और उसकी तअ़लीम व तरक्की के रास्ते मसदूद हो जाएंगे।

और इस तरह के बहुत से अन्देशे और सवालात जो मुल्क के अ़वाम के ज़ेहनों और ज़ुबानों पर हैं उनको शायद महज़ इस बात से तशफ्फी नहीं होगी की इस बिल से किसी को कोई खतरा नहीं या ये हिज़ब इख़्तिलाफ का सियासी प्रोपेगण्डा है अगर इन अन्देशों को इतमीनान बख़्श दलाइल से दूर कर दिया जाये और इन सवालात का तशफ्फी बख़्श जवाब दे दिया जाए और बिल में ऐसी तरमीम कर दी जाए कि जिससे आईन की सेकुलर और बुन्यादी शिकों की रास्त मुख़ालिफत न हो और मुल्क के तमाम असल बाशिन्दे अपनी शहरीयत, इमलाक और तमाम शहरी हुक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुतमइन हो जाएं तो हमें उम्मीद है कि ये क़ानून ज़रूर क़ुबूल कर लिया जाएगा और मौजूदा इन्तिशार और ख़लफिशार, खौफ व दहशत का माहौल और वसवसे और अंदेशे काफूर हो जाएंगे।

इस बिल के नतीजे में पैदा होने वाली सूरते हाल को ख़त्म करने के लिए एक राय और भी पेश की जा रही है, बाज़ लोगों का कहना है कि इस से क़ब्ल मुल्क की शहरीयत के सिलसिले में 'वोटर आई डी कार्ड' और 'आधार कार्ड' पर काफी काम हो चुका है इसमें अ़वाम का बड़ा वक़्त और मुल्क का एक बड़ा बजट सर्फ हो चुका है। शहरीयों की भारी अकसरीयत के पास दोनों में से एक चीज़ मौजूद है, लिहाज़ा एन.अर.सी. के सिलसिले में इससे फायदा उठाना चाहिए, इस तरह वक़्त, मेहनत और इख़्राजात की बचत भी होगी। और लोगों को राहत भी मिलेगी, वरना मुल्क जो इस वक़्त ग़ैर मामूली इक़्तिसादी संकट का शिकार है, एक लम्बे अ़रसे तक के लिए इसका मुक़ाबला करने से क़ासिर रहेगा, चे जाए कि तरक़्क़ी के लिए इक़दाम करे।

हम दुआ़गो हैं कि हुकूमते हिन्द कोई ऐसा फैसला ले जो मज़हब और नस्ल से बालातर हो और पूरी हिन्दोस्तानी क़ौम के लिए इतमीनान व ख़ुशी का बाइस हो।

(तामीरे हयात उर्दू 25 दिसम्बर 2019 से ग्रहीत)

❖❖❖

औरंगज़ेब को अंग्रेज़ों ने बदनाम कर दिया

—मौलाना सय्यिद इनायतुल्लाह नदवी

—हिन्दी इम्लाः राशिदा नूरी

क्या औरंगज़ेब ने भाइयों को क़त्ल कराया?

अंग्रेज़ मुअर्रिख़ीन औरंगज़ेब पर ये संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए बाप को क़ैद कर दिया और भाइयों को क़त्ल करा दिया, ये दोनों बातें इन्तिहाई मन गढ़न्त और बे बुन्याद हैं, हक़ीक़त ये है कि सन् 1657 ई0 में शाहजहाँ बीमार हुए और उन्होंने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह के हाथ में सलतनत की बागडोर दे दी, दारा शिकोह ने अपनी बादशाही का एलान कर दिया, ये ख़बर जब उसके तीन भाइयों औरंगज़ेब, शुजा और मुराद को पहुंची तो वह सभी हैरान रह गये कि मामला क्या है? वह तीनों देहली से काफी दूर थे, औरंगज़ेब दकन में, शुजा बंगाल में, और मुराद गुजरात में गर्वनर की हैसियत से थे। उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बाप का इन्तिक़ाल हो गया, या बाप शदीद मर्ज़ में मुब्तला हो गये या दारा ने बाप को बे दख़ल कर के इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया? इसी तज़ब्ज़ुब में शुजा ने बंगाल में अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया और बड़ी फौज ले कर आगरा की तरफ़ रवाना हो गया दारा को उसकी इत्तिला मिली तो उसने भी एक बड़ी फौज उसका रास्ता रोकने के लिए भेज दी, इन दोनों फौजों में बनारस के क़रीब सख़्त जंग हुई जिसमें शाह शुजा की शिकस्त हुई और वह बंगाल वापस लौट गया, उधर औरंगज़ेब ने हक़ीकते हाल का पता लगाने की कोशिश की तो पता लगा कि शाहजहां सख़्त बीमारी में मुब्तला हैं, और उन्होंने दारा के हाथ में इक़्तिदार सौंप दिया है, इस जानकारी के बाद औरंगज़ेब ने अपने बाप की बीमार पुरसी की ग़रज़ से आगरा की तरफ़ कूच किया, जब औरंगज़ेब के कूच करने की इत्तिला दारा को पहुंची तो दारा ने एक बड़ी फौज उनका रास्ता रोकने के लिए रवाना कर दी, इधर मुराद बख़्श गुजरात से आ कर औरंगज़ेब से मिल गया औरंगज़ेब को जब ये मालूम हुआ कि दारा ने फौज रवाना की है तो उन्होंने दारा को ख़त लिखा, कि मैं लड़ने के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ बाप की बीमार पुरसी के लिए आ रहा हूं लिहाज़ा मेरा रास्ता न रोका जाए। फिर उन्होंने रास्ते से ही अपने बाप को कई खुतूत लिखे जिनमें उनके अह्वाल दरयाफ़्त किये, लेकिन उनके किसी ख़त का कोई जवाब

नहीं मिला बल्कि दारा की फौज मुसलसल औरंगज़ेब का रास्ता रोकने के लिए पेशक़दमी करती रही बिल आख़िर धरमात के मक़ाम पर औरंगज़ेब का मुक़ाबला दारा की फौज से हुआ जिसमें दारा की फौज शिकस्त से दो चार हुई, फिर दारा ख़ुद एक बड़ी फौज ले कर रवाना हुआ जब दारा बिल्कुल आमने सामने आ गया तो भी औरंगज़ेब ने उसको जंग से बाज़ रहने का पैग़ाम दिया, और अपने इरादे का इज़हार किया लेकिन दारा जंग पर मुसिर था चुनांचे सामुगढ़ के मक़ाम पर दोनों फौजों में जंग हुई, इस जंग में भी दारा बुरी तरह शिकस्त खा कर भाग निकला अब औरंगज़ेब के लिए रास्ता साफ था। औरंगज़ेब आगरा पहुंच कर पहले वालिद साहब से मिले, उनकी बीमार पुरसी की फिर अपनी बादशाहत का एलान कर दिया। बाप को जहां वह थे उसी जगह बरक़रार रखा, आगरा के क़िले के अन्दर शाही महल था, उसी महल में वह रहते थे, वहां से निकाल कर किसी जेल में उन्हें क़ैद नहीं किया था। ये तो अंग्रेज़ मुअर्रिख़ीन का कमाल है कि उन्होंने ऐसी तअ़बीर इख़्तियार की कि हर कोई पढ़ने वाला ये समझेगा कि औरंगज़ेब ने बाप को क़ैदी बना कर जेल में डाल दिया, वह कहते हैं कि बाप को क़िले में क़ैद कर दिया। एक क़ारी क़िले के लफ़्ज़ पर तवज्जो नहीं देगा बल्कि क़ैद के लफ़्ज़ पर तवज्जो देगा किला किसे कहते हैं उस तरफ़ किसी का ख़याल भी नहीं जाएगा? किला वह जगह है जहां शाही महल होता है और शाही महल कोई जेल नहीं है बल्कि वहां हर तरह की आसाइश सहूलतें होती हैं। बादशाह वहीं क़ियाम करता है। शाहजहां जब बीमार हुए तो वहीं आराम करने लगे, वहीं अपनी मौत तक वह आराम करते रहे, आरामगाह को कोई क़ैद से तअ़बीर करे तो इससे बढ़ कर धांधली और क्या हो सकती है? औरंगज़ेब ने बाप के लिए तमाम सहूलतें मुहय्या कर दीं। लोग मिलने जुलने आते थे ग़ुरबा व मसाकीन भी आते थे जिन्हें वह दादोदहिश भी करते थे, उनकी ख़िदमत के लिए हर वक़्त ख़ुद्दाम हाज़िर रहते थे, नीज़ बेटी जहाँआरा भी चौबीस घण्टे उनका ख़याल रखने के लिए मौजूद रहती थी, औरंगज़ेब वक़्तन फवक़्तन उनके लिए रुक़ूमात भी मुहय्या करते थे ताकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ ख़र्च कर सकें, उनको किसी क़िस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। हुकूमत की बागडोर अलबत्ता औरंगज़ेब ने अपने हाथ में ले ली क्योंकि बाप ने पहले ही अपनी बीमारी की बिना पर ख़ुद ही हुकूमत से अलाहेदगी इख़्तियार कर ली थी। बाप को क़ैद

कर के इक़्तिदार पर क़ब्ज़ा करने का ये इलज़ाम जो अंग्रेज़ों की तरफ़ से औरंगज़ेब पर लगाया गया है, वह सरा सर ग़लत और बे बुन्याद है।

औरंगज़ेब तो वह इन्सान हैं जिन्होंने अपने बाप की ख़ातिर बड़ी उम्र में क़ुरआन पाक का हिफ़्ज़ किया। हुआ यूं कि जब औरंगज़ेब का लड़का हाफिज़ हुआ तो उसको ले कर औरंगज़ेब अपने वालिद के पास गये, और वालिद को उसकी ख़ुशख़बरी दी, ये सुन कर वालिद साहब ने फरमाया, कि इससे मुझे कोई ख़ुशी नहीं है मुझे तो ख़ुशी उस वक़्त होती जब मेरा कोई बेटा ह़ाफिज़े क़ुरआन होता, और मुझे हश्र के दिन ताज पहनाया जाता। शाहजहाँ की बात सुन कर औरंगज़ेब ने ये फैसला किया कि वह ख़ुद क़ुर्आन पाक हिफ़्ज़ करेंगे ताकि उनके वालिद साहब को ये एज़ाज़ हासिल हो सके, चुनांचि कुर्आन हिफ़्ज़ करना शुरु कर दिया, और चन्द ही महीनों में हाफिज़ बन गये ये उस वक़्त की बात है जब वह बादशाह बन चुके थे, हाफिज़ बनने के बाद वह पाबन्दी से रमज़ान में हर साल तरावीह में क़ुरआन सुनाते भी और पाबन्दी से हर दिन कुर्आन पाक की तिलावत करते थे ताकि ये हिफ्ज़ बाक़ी रहे। इससे अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें अपने वालिद की ख़ुशी का कितना ख़याल था। ऐसा शख़्स बाप को कैसे क़ैद कर सकता है? इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है।

तीन भाइयों को क़त्ल करके इक़्तिदार पर क़ब्ज़ा करने का जो इल्ज़ाम औरंगज़ेब पर लगाया जाता है, ये भी इन्तिहाई मनगढन्त है। जहां तक दारा शिकोह की बात है तो उसने जैसा कि बताया गया कि अपनी बादशाहत का ऐलान करने के बाद सबसे पहले उसकी जंग शुजा से हुई शुजा को शिकस्त देने के बाद उसने औरंगज़ेब का रास्ता रोकने के लिए फौज रवाना की, औरंगज़ेब ने उस फौज को शिकस्त दे कर अपना सफ़र जारी रखा फिर दारा शिकोह ख़ुद एक बड़ी फौज ले कर औरंगज़ेब का रास्ता रोकने के लिए निकल खड़ा हुआ, एक सख़्त मुक़ाबले के बाद दारा शिकोह की फौज शिकस्त खा गई। दारा शिकोह ने राहे फरार इख़्तियार की, औरंगज़ेब ने आगरा पहुंच कर इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया, दारा शिकोह पंजाब होते हुए गुजरात पहुंचा उसे वहां किसी मुग़ल फौजी ने गिरफ्तार कर लिया, फिर उसे दारुल ख़िलाफा लाया गया, जहाँ अदालत में उसके ख़िलाफ जुर्मे इरतिदाद का मुकद्दमा चला, इस जुर्म के साबित होने पर क़ाज़ी ने उसकी सजा–ए–मौत का फैसला सुनाया। वाज़ेह हो कि इस्लाम में इरतिदाद

के जुर्म की सज़ा मौत है, और दारा शिकोह मुरतद हो कर ईसाई बन चुका था, जिसकी बिना पर उसे मौत की सज़ा दी गई।

और जहां तक शुजा की बात है तो दारा शिकोह से हारने के बाद उसने औरंगज़ेब से भी लड़ने की कोशिश की थी, एक फौज ले कर वह आगरा बढ़ा, जब उसको मालूम हुआ कि दारा को शिकस्त दे कर औरंगज़ेब ने अपनी बादशाही का एलान कर दिया है, फतेहपुर के मक़ाम पर औरंगज़ेब की फौज से उसको करारी हार का सामना करना पड़ा तो वह फिर बंगाल की तरफ़ वापस भाग निकला वहां से वह अपनी फौज व ख़ानदान के साथ बर्मा पहुंचा, बर्मा से वह मक्का मुकर्रमा का सफर कशती के ज़रिए करना चाहता था, लेकिन बर्मा के राजा ने उसके बीवी और बच्चियों के ज़ेवरात छीन लिए और उनकी बेइज़्ज़ती की तो शुजा और उसके सिपाहियों की बर्मा की फौज से झड़प हो गयी, उसके नतीजे में शुजा मारा गया, ये वाकिया 1663 ई0 को पेश आया।

अब बताओ कि औरंगज़ेब ने कहां शुजा को क़त्ल किया? बल्कि जब औरंगज़ेब को शुजा के क़त्ल की ख़बर मिली तो उसने मुग़ल सिपहसालार मीर जम्ला को बर्मा की फौज पर हमला करने का हुक्म दिया, चुनांचे मीर जम्ला ने बर्मा पर फौज कशी करके उसके बहुत सारे इलाक़ों को सलतनत मुग़लिया में शामिल कर लिया, और ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि दारा और शुजा के ख़िलाफ औरंगज़ेब ने जंग शुरु नहीं की थी बल्कि उन दोनों ने औरंगज़ेब के ख़िलाफ फौजकशी की थी, औरंगज़ेब कभी भी भाइयों से जंग करना नहीं चाहते थे। दारा ने औरंगज़ेब को अपने वालिद की बीमार पुरसी से रोकने के लिए दो बार उनसे जंग की, शुजा ने औरंगज़ेब से इक़्तिदार छीनने के लिए उनके ख़िलाफ फौज कशी की। जबकि औरंगज़ेब ने शुजा को ये पैग़ाम भेजा था कि तुम बंगाल के बादशाह बने रहो, मैं तुम्हें इक़्तिदार से बे दख़ल नहीं करूंगा लेकिन उसके दिल में पूरे हिन्दोस्तान का बादशाह बनने का भूत सवार था। इसलिए वह जंग पर अड़ा रहा। उसे भी बुरी तरह शिकस्त हुई, अब दोनों हारने के बाद इधर उधर भागते रहे, एक गिरफ़्तार हुआ और इरतिदाद के जुर्म में क़ाज़ियों के मुत्तफक़ा फैसले से क़त्ल किया गया और दूसरा बर्मा के राजा सान्दा थुदामा के हाथों क़त्ल हुआ।

जहाँ तक शाहज़ादा मुराद की बात है तो मुराद और औरंगज़ेब में इत्तिहाद था, दोनों ने मिल कर दारा

की फौज से जंग की थी, वह मुराद को बहुत चाहते भी थे। मुराद को भी औरंगज़ेब ने क़त्ल नहीं किया, बल्कि मुराद ने सय्यद अ़ली नक़ी नाम के एक शख़्स को क़त्ल किया था, उसके बेटे ने मुराद के ख़िलाफ अ़दालत में क़िसास का मुक़दमा दाइर किया क़ाज़ी ने क़त्ले अ़मद का सुबूत मिलने पर मुराद को क़िसास में क़त्ल किये जाने का फैसला सादिर किया। औरंगज़ेब ने मक़तूल के बेटे से ये दरख़्वास्त भी की कि दियत ले कर मुराद की जान बख़्शी पर राज़ी हो जायें लेकिन वह इस पर राज़ी नहीं हुआ, इस्लामी क़ानून के मुताबिक मक़तूल के वारिस की रज़ामन्दी के बग़ैर क़ातिल की जान बख़्शी नहीं की जा सकती। चुनांचि क़िसासन मुराद को क़त्ल कर दिया गया। इससे तो औरंगज़ेब की इंसाफ़ पसन्दी का सुबूत मिलता है, औरंगज़ेब क़ानून और इंसाफ़ के मामले में किसी की रिआ़यत नहीं करते थे, ये उनके ख़लीफ़ा राशिद होने की पहचान है। इसी इंसाफ़ के तक़ाज़े पर अ़मल करते हुए औरंगज़ेब ने एक हिन्दू पण्डित की बेटी की शिकायत पर अपनी तरफ़ से मुतअ़य्यन किए हुए गवर्नर इब्राहीम को ज़िल्लत के साथ क़त्ल करवा दिया, जब कि उसके जुर्म को रंगे हाथों उन्होंने पकड़ लिया। इसी इंसाफ़ के तक़ाज़े पर अमल करते हुए अपने चहीते भाई का क़त्ल किया जाना भी गवारा कर लिया।

आख़िर ये क्या बात है कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर औरंगज़ेब को इतना बदनाम करने की अंग्रेज़ों ने इस क़दर कोशिश क्यों की? इसके कई असबाब हैं, पहला ये कि अंग्रेज़ों को ऐसी शर्मनाक शिकस्त और ज़िल्लत किसी भी हुकमराँ से नहीं पहुँची थी जैसी औरंगज़ेब से चाइल्डवार के बाद उन्हें उठानी पड़ी थी। दूसरी बात ये कि औरंगज़ेब को बदनाम करके हिन्दुओं और मुसलमानों के दरमियान फूट डालना उनके लिए बहुत आसान था। और तीसरा एक बहुत बड़ा राज़ था जो बहुत कम लोगों को मालूम है, वह राज़ ये था कि एक अंग्रेज़ जासूस बड़ी चालाकी के साथ मुग़ल दरबार में रसाई हासिल कर चुका था, जिसका नाम रेवरेन्ड हेनरी बूज़ी था, वह पादरी भी था और जासूस भी। शाहजहाँ से क़ुरबत हासिल करके वह दारा शिकोह का ख़ास मोअ़तमिद बन गया था, उसको यह यक़ीन था कि हिन्दोस्तान का अगला बादशाह दारा शिकोह होगा, इसलिए दारा शिकोह से क़रीब हो कर उसकी ऐसी ज़हन साज़ी की थी, कि वह इस्लाम से मुतनफ्फिर हो कर अन्दर से ईसाई हो चुका था, अब सिर्फ ईसाइयत का एलान

करना बाक़ी था, ये तय था कि हिन्दोस्तान पर मुकम्मल कन्ट्रोल हासिल करने के बाद वह ईसाई मज़हब में दाख़िल होने का एलान करता। रेवरेन्ड बेज़ी को अच्छी तरह मालूम था कि दारा शिकोह के हुसूल इक़्तिदार के बाद ईसाइयत का एलान करने में सबसे बड़ी रुकावट औरंगज़ेब बन सकता है, इसलिए बाप की मौजूदगी में अगर दारा शिकोह इक़्तिदार हासिल कर ले तो तीनों भाई ज़ियादा मुज़ाहमत नहीं कर पायेंगे।

अगर करेंगे तो भी मुग़लिया सलतनत शदीद खाना जंगी का शिकार हो कर कमज़ोर हो जाएगी, फिर अंग्रेज़ों के लिए इक़्तिदार हासिल करना आसान हो जाएगा, अगर दारा शिकोह तमाम भाइयों पर ग़लबा हासिल करने में कामयाब हो गया तो फिर दारा शिकोह के ज़रिए पूरे मुल्क में ईसाइयत का फैलाना आसान हो जाएगा और हिन्दोस्तान एक ईसाई मुल्क बन जाएगा।

इस साज़िश को औरंग–ज़ेब ने बड़ी ज़हानत, तदब्बुर, हिकमते इल्मी, शुजाअ़त व बहादुरी के साथ नाकाम बना दिया, इसीलिए एक अंग्रेज़ डॉक्टर फ्रांस बरनियर ने अपनी एक याद दाश्त लिखी जिसमें शुरु से आख़ीर तक औरंगज़ेब की शख़सीयत को बुरी तरह से मजरूह करने की भरपूर कोशिश की, यही वह याददाश्त है जिसे अंग्रेज़ मुअ़र्रिखों ने अपनी बुन्याद बना कर तारीख़ लिखी, इस याददाश्त में बरनियर ने औरंगज़ेब के ख़िलाफ दिल खोल कर भड़ास निकाली है और उनकी शख़्सीयत को दाग़दार बना दिया है, बाद के अंग्रेज़ मुअर्रिख़ीन ने इसमें मज़ीद नमक मिर्च लगा कर औरंगज़ेब की ऐसी तारीख़ लिख दी कि उसे पूरी तरह हिन्दुस्तानी तारीख़ का बदतरीन हुकमरां बना कर पेश कर दिया।

फ्रांस बरनियर भी शाहजहाँ के ज़माने में मुग़लिया दरबार में बड़ी क़ुरबत रखता था, वह डॉक्टर होने के साथ–साथ ईसाइयत का मुबल्लिग़ भी था। दारा शिकोह का वह ज़ाती मुआलिज था, उसने भी दारा शिकोह को इस्लाम से बरगशता करने और ईसाइयत की तरफ़ माइल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, उसे इस बात से काफी दुख़ और रन्ज हुआ था कि इतने बड़े प्लान के बावजूद दारा शिकोह के हाथ में इक़्तिदार नहीं रह सका और इसमें सबसे बड़ी रुकावट औरंगज़ेब बने थे। इसलिए हाथ धो कर वह औरंगज़ेब के पीछे पड़ गया और झूठ व दरोग़ बयानी का सहारा ले कर अपनी याददाश्त में औरंगज़ेब की शख़्सीयत को मजरूह कर डाला ताकि आने वाली नस्लें

औरंगज़ेब को बुरा इंसान समझ कर गालियाँ देती रहें, उसका मिशन बड़ी हद तक कामयाब हो गया।

लोग फ्रांस बरनियर और दीगर अंग्रेज़ मुअर्रिख़ीन की किताबों से मवाद हासिल करके औरंगज़ेब से बदगुमान हुए लेकिन ख़ुद आलमगीर की लिखी हुई ''रुक़आते आलमगीरी'', शेर खाँ लोधी की तसनीफ़ ''मिरआतुल्ख़ियाल'', मुल्ला सालेह की किताब अ़मले सालेह़ शाहनवाज़ खान की ''तारीख़े मुआसिरुल्उमरा'' सजान राय की किताब ''ख़ुलासतुत्तवारीख़'' साक़ी मुसतईद खान की किताब ''मआसिरे आ़लमगीरी'' ख़ाफ़ी खान निज़ामुल मुल्क की किताब ''मुन्तख़बुल्लुबाब'' और राय बन्द्राएन की किताब ''लुब्बुत्तवारीख़'' की तरफ किसी ने ध्यान तक नहीं दिया जिनमें असल हक़ीक़त और सही हालात सच्चाई के साथ बयान किये गये हैं।

❖❖❖

आप के प्रश्नों के.....

तो वहां मुसलमानों के लिए खून का अ़तीया पेश करना जाइज़ है, क्योंकि मौजूदा दौर में किसी वक़्त भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है, कुदरती व गैर कुदरती नागहानी वाक़िआ़त आए दिन पेश आते रहते हैं, बयक वक़्त मुख़्तलिफ़ ग्रुप के ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है, इसीलिए अगर पहले ही से ब्लड जमा न हों तो ज़रूरतमन्दों की जान बचाना मुश्किल हो जाए, इसलिए क़ब्ल अज़ वक़्त खून का अ़तीया देना दुरुस्त है।

(अलफिक़हुल इस्लामी अदिल्लतुहुः 4/2614)

प्रश्नः क्या किसी इन्सान का जिगर या गुर्दा दूसरे की जान बचाने के लिए बतौरे अ़तीया देना दुरुस्त है? जब कि आज की तिब्बी दुन्या में जिगर की मुंतकिली भी बसहूलत मुम्किन हो गई है?

उत्तरः आ़ज़ा की मुन्तक़िली तो अस्लन जाइज़ नहीं है लेकिन जब जदीद मेडिकल सहूलत के तहत एक इन्सान का जिगर दूसरे को नुक्सान पहुंचाये बगैर मुंतक़िल करना मुम्मिकन हो जैसा कि आज कल ऐसा हो रहा है, तो इस शर्त के साथ मुन्तकिल करना दुरुस्त है, जब कि किसी दीनदार माहिर डॉक्टर ने इस की इजाज़त दी हो, शैख़ वहबहु अज़्ज़हीली ने जुम्हूर का मसलक बताते हुए जवाज़ का फतवा दिया है।

(अलफिकहुल इस्लामीः 4/2609)

प्रश्नः क्या किसी इन्सान की आँख या उसका कार्निया दूसरे को बतौर अ़तीया देना दुरुस्त है?

उत्तरः अगर आँख देने वाले को बज़ाते खुद नुक़्सान न हो क़ार्निया के देने में आँख को नुक़्सान न पहुंच रहा हो, तो एक आँख या आँख का कार्निया बतौरे अ़तीया दिया जा सकता है, लेकिन मुस्लिम तबीब की इजाज़त ज़रूरी है। वरना जाइज़ नहीं है।

(हवाला साबिक़)

❖❖❖

कुरआन की सत्यता के प्रमाण

—अबरार अहमद लाखेरी

वैसे तो कुरआन की सत्यता के अनेक प्रमाण हैं परन्तु इस लेख में हम उनमें से केवल तीन प्रमाणों का ज़िक्र करेंगे।

कुरआन और पहाड़ः–

पहाड़ों में आधारभूत जड़ें होती हैं। ये जड़ें धरती में अन्दर तक गड़ी होती हैं, अतः पहाड़ की आकृति खूँटे की तरह होती है। आधुनिक भू विज्ञान ने ऐसा सिद्ध भी कर दिया है।

कुरआन में है–

''क्या ऐसा नहीं है कि हमने ज़मीन को विछौना बनाया और पहाड़ों को खूँटों की तरह गाड़ दिया?''

(सूरः 78 आयत 6–7)

ये जड़ें कई बार ज़मीन के ऊपर ऊँचाईयों तक पहुंच जाती हैं अतः पहाड़ों को इस आधार पर खूँटे का नाम दिया जा सकता है। आगे चल कर कई खूँटे धरातल के नीचे छुप जाते हैं।

विज्ञान के इतिहास से यह जानकारी मिलती है कि पहाड़ों की गहरी जड़ें होती हैं, इसके बारे में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पता चला।

पहाड़ ज़मीन की बाहरी परत को थामे रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पहाड़ ज़मीन को हिलने से रोकते हैं। कुरआन में है–

''उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें (खूँटे) गाड़ दीं ताकि ज़मीन तुम को ले कर लुढ़क न जाए।''

(सूरः 16 आयत–15)

परत रचना के आधुनिक सिद्धान्त से यह जानकारी प्राप्त हुई कि पहाड़ ज़मीन को थामे रखते हैं तथा यह सिद्धान्त 1960 के पश्चात ज्ञात हुआ।

क्या हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में कोई इन्सान पहाड़ों के इस रूप से वाकिफ़ था? क्या कोई सोच भी सकता था कि विशाल पहाड़ जो दिखाई देते हैं, वास्तव में धरती में अन्दर धँसे हुए हैं तथा जड़ें रखते हैं?

अतः कुरआन किसी मनुष्य की रचना नहीं हो सकती तथा यह कुरआन की सत्यता का भी प्रमाण है।

कुरआन और ब्रह्माण्डः–

आधुनिक ब्रह्माण्ड विज्ञान सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रूप से साफ तौर पर बताता है कि एक समय पूरी कायनात धुएं के एक बादल के सिवा कुछ नहीं थी। (जैसे अपारदर्शी व अत्यधिक सघन और गर्म गैसों का मिश्रण)।

कुर्आन में है–

'' उसने आसमान की ओर रुख किया जो उस समय सिर्फ धुआँ था।''

(सूरः 41 आयत 11)

मानक आधुनिक ब्रह्माण्ड विज्ञान का यह एक गैर विवादास्पद सिद्धान्त है।

वैज्ञानिक अब धुएं के अवशेष से बने नए तारों के गठन का निरीक्षण कर सकते हैं।

रौशन तारे जो हम रात को देखते हैं वे भी शेष कायनात की भाँति एक धुएं के रूप में थे।

चूंकि ज़मीन और ऊपरी आकाश (सूर्य, चन्द्रमा, तारे, ग्रह आदि) सब एक ही धुएं से वजूद में आए हैं।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि ज़मीन और आसमान जुड़ी हुई सत्ता थी।

फिर इस सजातीय धुएं के कारण इन्होंने आकार लिया तथा एक दूसरे से अलग अलग हुए हैं।

कुरआन में है–

''क्या वे लोग जिन्होंने (नबी की बात मानने से) इनकार कर दिया है, विचार नहीं करते कि ये सब आसमान और ज़मीन परस्पर मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग किया?''

(सूरः 21 आयत 30)

हज़रत मुहम्मद सल्ल0 के समय पर यह ज्ञात होना असंभव था, क्योंकि वैज्ञानिक कुछ वर्ष पूर्व ही इसके बारे में जान पाए हैं। 1500 वर्ष पूर्व यह किसी मनुष्य के मस्तिष्क में आ ही नहीं सकता था, अतः यह सिद्ध होता है कि कुरआन किसी मनुष्य की नहीं अपितु ईश्वर की रचना है और यही कुरआन की सत्यता का प्रमाण भी है।

कुरआन और समुद्रः–

आधुनिक विज्ञान यह खोज चुका है कि जिस स्थान पर दो अलग–अलग समुद्र मिलते हैं, उनके बीच एक रुकावट होती है। यह रुकावट दोनों को अलग करती है। जिससे हर एक का स्वयं का तापमान, खारापन और घनत्व बाकी रहता है। जैसे भूमध्य सागर का पानी, अटलांटिक महा सागर के पानी की तुलना में गर्म, खारा एवं कम घना होता है।

जब भूमध्य सागर का पानी जिब्राल्टर की खाड़ी द्वारा अटलांटिक महा सागर में प्रवेश करता है तो यह अटलांटिक में कई सौ किलोमीटर तक 1000 मीटर की गहराई में अपनी स्वयं की गर्म, खारा एवं कम घनी विशेषताओं के साथ घूमता है। फिर इस गहराई में भूमध्य सागर का पानी स्थिर हो जाता है।

यद्यपि इन समुद्रों में बड़ी लहरें, प्रबल धाराएं एवं ज्वार होते हैं, फिर भी ये नहीं मिलते।

कुरआन में है–

''दोनों समुद्रों को उसने छोड़ दिया कि परस्पर मिल जाएं, फिर उनके बीच एक परदा पड़ा है, जिसको वे पार नहीं करते।''

(कुर्आन, 55: 19–20)

परन्तु जब कुरआन मीठे एवं खारे पानी के मध्य विभाजन के बारे में बताता है तो यह रुकावट के साथ एक अवरोधित विभाजन के अस्तित्व का भी उल्लेख करता है। कुरआन में है–

''और वही है जिसने दो समुद्रो को मिला रखा है। एक स्वादिष्ट और मीठा, दूसरा कड़ुवा और खारा। और दोनों के बीच एक परदा पड़ा है। एक रुकावट है जो उन्हें गड मड होने से रोके हुए है। (सूरः 25 आयत 53)

यहां यह सवाल पैदा होता है कि कुर्आन मीठे व खारे पानी के विभाजन के बारे में बताते समय एक अन्य अवरोधित विभाजन का उल्लेख क्यों करता है, जब कि दो समुद्रों के बीच विभाजन के बारे में बताते हुए वह इसका उल्लेख क्यों नहीं करता है?

आधुनिक विज्ञान को यह सिद्ध हो चुका है कि जहाँ मीठा और खारा पानी मिलता है, तथा जिन स्थानों में दो समुद्र मिलते हैं, उनकी परस्थितियाँ कुछ हद तक भिन्न होती हैं।

यह भी खोजा जा चुका है कि मुहानों में जो मीठे तथा खारे पानी को अलग करता है, वह एक परतीय क्षेत्र होता है जो कि दो परतों को स्थित घनत्व के दरार के साथ अलग करता है।

यह जो नया विभाजन है, वह मीठे तथा खारे पानी की अपेक्षा अलग खारा पन रखता है।

यह सूचना हाल ही में खोजी गई है, जिसमें कि ताप, खारा पन, घनत्व, ऑक्सीजन की अघुलनशीलता आदि को मापने वाले उपकरणों का उपयोग किया गया है।

मनुष्य की आँख दो समुद्रों के मिलने में आए अंतर को नहीं देख सकती बल्कि दो समुद्र हमें एक सजातीय समुद्र के रूप में नज़र आते हैं।

इसी प्रकार मनुष्य की आँख मुहानों में तीन प्रकार के पानी के विभाजन को भी नहीं देख सकती जो कि खारा पानी, मीठा पानी तथा विभाजित पानी होता है।

हज़रत मुहम्मद सल्ल0 के समय हमें आधुनिक विज्ञान के बारे में पता नहीं था, अतः इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कुरआन किसी मनुष्य की रचना हो ही नहीं सकती, वास्तव में यह एक और केवल एक ईश्वर की रचना है तथा यही कुरआन की सत्यता का प्रमाण है।

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी ..... मुन्हयात के एर्तकाब की मुमानियतः-

उन लोगों को डरना चाहिए जो रसूल के हुक्म की मुख़ाल्फत करते हैं कि उन पर कोई मुसीबत आ पड़े या पहुंच जाये उन का दर्द नाक अज़ाब। और अल्लाह तआ़ला तुम को अपनी ज़ात से डराता है।

बेशक तुम्हारे रब की पकड़ अलबत्ता सख़्त है। तुम्हारे रब की पकड़ उस तरह सख़्त है जब वह किसी बस्ती को पकड़ता है उस हाल में कि उस के रहने वाले जालिम होते हैं। बेशक उस की पकड़ बड़ी दर्द नाक और सख़्त है।

हज़रत अबु हुरैरह रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआ़ला ग़ैरत करता है उस की ग़ैरत यह है कि जिस काम को उसने हराम कर दिया है उस के बन्दे वही करें।

(बुखारी–मुस्लिम)

❖❖❖

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

Nadwatul Ulama
P.O. Box No. 93, Tagore Marg,
Lucknow - 226007 (India)

ندوة العُلمَاء
ص.ب./٩٣، تيغورمارغ،
لكناؤ-٢٢٦٠٠٧ يوبى (الهند)

Date________   التاريخ________

09/09/2018   ۲۸/ذی الحجہ ۱۴۳۹ھ

باسمہ تعالیٰ

अपील बराए तामीर जदीद हास्टल

अल्लाह तआला का शुक्र है कि दारूल उलूम नदवतुल उलमा हजरत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी की संरक्षता में अपनी इल्मी व दीनी खिदमत में लगा हुआ है, दारूल उलूम में इल्मे दीन के तालिब इल्मों की अधिकता के कारण रिहाइश (निवास स्थान) की बड़ी समस्या हो गई, जिसकी वजह से तालिब इल्मों के दाखिले सीमित करने पड़ते हैं, और नये तालिब इल्मों की एक बड़ी संख्या मायूस होकर वापस हो जाती है। इस सूरतेहाल को देख कर नदवतुल उलमा की प्रबंधक कमेटी ने नये छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया है, जिसका संगे बुन्याद हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम के दस्ते मुबारक से रखा जा चुका है, और अल्लाह की मदद के भरोसे पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

इस नये छात्रावास में जो तीन मन्ज़िला होगा, 36 कमरे और 2 हाल होंगे, ताकि तालिब इल्मों की रिहाइश (निवास) के साथ दूसरी शिक्षा संबन्धित ज़रूरतें पूरी हो सकें और वह संतुष्टि होकर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

इस निर्माण कार्य पर 3,61,74,600 (तीन करोड़, एक्सठ लाख, चौहत्तर हज़ार, छः सौ) रूपये, और एक कमरे पर लगभग साढ़े चार लाख रूपये के खर्च का अन्दाज़ा है, जो इन्शाअल्लाह अहले खैर के तआवुन (सहयोग) से पूरा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण कार्य की ओर अवश्य ध्यान देंगे और नदवतुल उलमा के कार्यकर्ताओं का हाथ बटाएंगे।

हमें अल्लाह तआला पर भरोसा है कि उसकी मदद से यह अहम काम पूर्ति को पहुंचेगा।

मौलाना तकीयुद्दीन नदवी	प्रो0 अतहर हुसैन	मौ0 सईदुररहमान आज़मी नदवी
(मोतमद तअलीम, नदवतुल उलमा)	(मोतमद माल, नदवतुल उलमा)	(मोहतमिम दारूलउलूम, नदवतुल उलमा)

चेक / ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें।

NADWATUL ULAMA

A/C NO. 10863759733 (IFSC CODE - SBIN0000125)

(State Bank of India Main Branch, Lucknow.)

और इस पते पर भेजें।

NIZAMAT OFFICE, NADWATUL ULAMA,
P.O. BOX NO. 93, TAGORE MARG,
LUCKNOW - 226007 (U.P.)

Phone: +91-522-2741316, Guest House: 2740141, Fax: 2741023
e-mail: nadwa@sancharnet.in, website: www.nadwatululama.org

उर्दू सीखये —इदारा

हिन्दी जुम्लों की मदद से उर्दू जुम्ले पढ़ये

हिन्दोस्तान बहुत बड़ा मुल्क है।
ہندوستان بہت بڑا ملک ہے۔
हिन्दोस्तान ही को भारत कहते हैं।
ہندوستان ہی کو بھارت کہتے ہیں۔
हिन्दोस्तान की आबादी एक अरब तीस करोड़ है।
ہندوستان کی آبادی ایک ارب تیس کروڑ ہے۔
एक अरब तीस करोड़ में तीस करोड़ मुसलमान हैं।
ایک ارب تیس کروڑ میں تیس کروڑ مسلمان ہیں۔
हिन्दोस्तान की दूसरी बड़ी अक़ल्लियत ईसाइयों की है।
ہندوستان کی دوسری بڑی اقلیت عیسائیوں کی ہے۔
तीसरे नम्बर पर सिख हैं।
تیسرے نمبر پر سکھ ہیں۔
सिख मज़हब के बानी गुरु नानक हैं।
سکھ مذہب کے بانی گرونانک ہیں۔
हिन्दोस्तान में जैनी और बौद्धी भी रहते हैं।
ہندوستان میں جینی اور بودھی بھی رہتے ہیں۔
जैन मज़हब के बानी महावीर स्वामी हैं।
جین مذہب کے بانی مہاویر سوامی ہیں۔
बुद्ध मज़हब के बानी महात्मा बुद्ध हैं।
بدھ مذہب کے بانی مہاتما بدھ ہیں۔
सब मज़हब वाले एक दूसरे से महब्बत रखते हैं।
سب مذہب والے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔